BARC
Working
Paper
No. 2

November 2005

ÚæÁS Íæ Ù

Î çÜÌ °ß| ¥æç Îßæçâ Øæ| ·¤ çÜ° ÕÁÅ| °ß| ØæÁÙæ°|

âÕÌæ Îžææ

âãØæ»
·¤â× çâÇæÙæ ÚæÏ×æãÙ Áæ»è Ù»‹¼ çâã| çßÁØ »æØÜ

âÜæã·¤æÚ|
Çæ. çÁ‹Ùè Ÿæèßæ SÌß

ÚæÁSÍæÙ

Î çÜÌ °ß ¥æçÎßæçâØæ ·¤ çÜ° ÕÁÅ °ß ØæÁÙæ°

âÕÌæ Îžææ

âãØæ»

·¤â× çâÇæÙæ Úæïæ×æãÙ Áæ»è Ù»‹¼ çâã çßÁØ »æØÜ

âÜæã·¤æÚ

Çæ. çÁ‹Ùè Ÿææßæ SÌß

बी.ए.आर.सी. वर्किंग पेपर नं. 2

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

संस्करण : नवम्बर 2005

मुद्रक : कल्पना ऑफसेट,जयपुर

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा सीमित प्रसार एवं नि:शुल्क वितरण के लिए प्रकाशित।

अनुक्रमणिका

1. दलित/आदिवासी लोगों का संक्षिप्त इतिहास
2. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति /जनजाति एवं पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु बजट।
    1. राजस्व व्यय
    2. पूंजीगत व्यय
3. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए विभाग वार बजट
    1. राजस्व व्यय
    2. पूंजीगत व्यय
4. समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए विभागवार बजट
    1. राजस्व व्यय
    2. पूंजीगत व्यय
5. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत योजनाएं
6. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछड़ा वर्ग के लिए योजनाएं।
    1. शैक्षणिक विकास
    2. आर्थिक विकास
    3. सामाजिक उत्थान एवं संरक्षण
7. समाज कल्याण प्रवत्तियां
8 सामाजिक सुरक्षा योजना
9. समाज सुधार के क्षेत्र में अन्य प्रयास

इस पुस्तिका में हम राजस्थान के दलित और आदिवासी के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में व्यय किये गये बजट और विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा कुछ विषयों पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। सरकारी परिभाषा में दलित, आदिवासी और वंचित लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के नाम से जाना जाता है। समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों ने इन लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई है एवं बजट के माध्यम से प्रति वर्ष जो प्रावधान रखतें हैं व खर्च करते हैं, वह तथ्य सभी लोगों के पास नहीं पहुँचते। इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से यह पुस्तिका हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें विस्तृत विवरण देना तो संभव नहीं है परन्तु इसके माध्यम से दलित आदिवासी बजट एवं योजनाओं के बारे में रूची रखने वाले संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।

आंकड़ा एवं तथ्य स्रोत :

1. राजस्थान सरकार की विभिन्न वर्षों की बजट पुस्तिकाएं
2. प्रयास एवं प्रगति – प्रशासनिक प्रतिवेदन, समाज कल्याण विभाग
3. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

दलित/आदिवासी लोगों का संक्षिप्त इतिहास

भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास लगभग पॉच हजार वर्ष पुराना है। शायद प्राकृतिक विपदा अथवा अन्य कारणों से यह सभ्यता नष्ट हो गई। इसके बहुत सारे चिह्न हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ों के मलबे में मिले। दक्षिण के जो लोग बचे वे पूरे भारत में फैल गए और उन्हें द्रविड कहा गया। कुछ लोग जंगल में बस गए उन्हें आदिवासी कहते थे। इन लोगों को भारत के भूमिपुत्र माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व जब आर्य लोग उत्तर–पश्चिम से भारत में आये थे, उसके बाद कई शताब्दी तक आर्य और सिंधु घाटी (उपत्यका) के लोगों के बीच लड़ाई चली थी। आर्य लोगों का उद्‌भव कहां से हुआ था इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में अभी तक विवाद है। सांस्कृतिक एवं रीति–रिवाज की दृष्टि से आर्यो ने इस देश में रहने वाले लोगों – जैसे कि चाण्डाल, चमार आदि – को निम्न वर्ग का माना था।

ऋग्वैद उत्तर समय के अनेक साहित्य से यह मालुम चला कि इस देश में पहले से रहने वाले भूमिपुत्र आर्यो के समाज से बाहर वास करते थे। पहले ही बताया जा चुका है कि जंगल में रहने वाले लोगों को यानि की इस देश के भूमिपुत्रों को आदिवासी के नाम से जाना जाता था। उच्च श्रेणी के लोगों ने आदिवासी लोगों के विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। समय–समय पर कुछ आदिवासी लोगों ने अपने छोटे–छोटे कबीलों पर राज किया था, लेकिन ज्यादातर आदिवासी लोगों का जीवन अंधेरे में ही गुजरा।

वैदिक समय के अन्त में चण्डाल लोग बहुत लांछित हुए थे। 600 ईसा पूर्व और 200 ईसा उत्तर समय के बीच में चण्डाल लोगों को अछुत मानना शुरू हुआ था।

हिन्दु वर्ण व्यवस्था में कार्य के अनुसार लोगों का विभाजन किया गया था, जो समाज के एक बड़े तबके के विकास में बाधक था। वर्णाश्रम व्यवस्था में शिक्षा में ब्राह्मण, प्रशासन एवं राजकार्य में क्षत्रिय, वाणिज्य में वैश्य, एवं इन तीन श्रेणियो को सेवा देने का कार्य क्षुद्र करते थे। समाज में क्षुद्र सम्प्रदाय को नीच दृष्टि से देखने लगे, जिससे समाज में छुआछुत का प्रचलन हो गया था। जन्म के आधार पर कर्म तय करने वाली यह व्यवस्था क्षुद्र कहलाने वाले लोगों को आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित करती है, आज भी देश के गांवों में यह प्रथा मौजूद है। आज भी दलितों को धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने से रोका जाता है। समाज में अन्तर्जातिय विवाह का भी इतना प्रचलन नहीं है। अगर हम निष्पक्ष तौर पर देखें तो वर्ण प्रथा का समाज में बहुत नकारात्मक असर हुआ है, जिसके फलस्वरूप दलित व आदिवासी लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लगातार पिछड़ते गये। समाज को सुधारने के लिए बहुत शक्तिशाली कदम उठाने की आवश्यकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी भारत में छुआछूत की समस्या मौजूद है। राजस्थान के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र भी छुआछुत से मुक्त नहीं हैं। छुआछूत व्यवस्था के कारण अन्तर्जातीय अन्तःक्रिया नहीं चल पाती है। जिससे उच्च वर्ग के लोग अत्यधिक सुविधाओं का उपभोग करते है और पिछड़ा वर्ग निरन्तर पिछड़ता जाता है। इस व्यवस्था से एक असमानता का रूप दिखाई देता है, जो कि समाज के सम्पूर्ण विकास में मुख्य रूकावट है। समाज में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने के लिए दलित व आदिवासी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि उपलब्ध करवा कर इनका सशक्तीकरण करना चाहिए।

सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु 1930 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने कुछ पिछड़ी हुई जातियों व जनजातियों को शिक्षा एवं रोजगार देने के लिए depressed classes के नाम से पहचान कर घोषणा की थी, लेकिन इन depressed classes को कोई शिक्षा, रोजगार आदि में कोई स्पष्ट रूप से कानूनी अधिकार नहीं दिया गया। इसके पॉच साल बाद पहली बार इन लोगों के लिए कानूनी अधिकार पारित किया गया जिसके फलस्वरूप 1935 में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes) के लिए प्रथम बार Government of India Act बना है।

1950 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग सूची अस्तित्व में आई।

खाली

बजट

खाली

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु बजट – एक परिचय

जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 5 करोड़ 65 लाख 7 हजार एक सौ 88 है। जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 96 लाख 94 हजार चार सौ बासठ हैं जो कि कुल जनसंख्या का 17.16 प्रतिशत है। अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 70 लाख 97 हजार सात सौ छः है। जिलेवार जनसंख्या के लिए सारणी 1 देखे।

सारणी 1 : वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जिलेवार जनसंख्या एवं प्रतिशत

जिले का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत	अनु. जनजाति	प्रतिशत
श्रीगंगानगर,	1789423	603371	33.7	14744	0.8
हनुमानगढ	1518005	396646	26.1	10029	0.7
बीकानेर	1674271	334242	20	5945	0.4
चुरू	1923878	407207	21.2	10063	0.5
झुन्झुनू	1913689	309236	16.2	36794	1.9
अलवर	2992592	539036	18	239905	8
भरतपुर	2101142	455891	21.7	47077	2.2
धौलपुर	983258	197895	20.1	47612	4.8
करौली	1209665	280132	23.2	270630	22.4
सवाईमाधोपुर	1117057	223224	20	241078	21.6
दौसा	1317063	279377	21.2	353187	26.8
जयपुर	5251071	777574	14.8	412864	7.9
सीकर	2287788	339824	14.9	62512	2.7
नागौर	2775058	545229	19.6	6497	0.2
जोधपुर	2886505	456363	15.8	79540	2.8
जैसलमेर	508247	74094	14.6	27834	5.5
बाड़मेर	1964835	308996	15.7	118688	6
जालौर	1448940	261315	18	126799	8.8
सिरोही	851107	162984	19.1	210763	24.8
पाली	1820251	323452	17.8	105814	5.8
अजमेर	2181670	386298	17.7	52634	2.4
टोंक	1211671	233084	19.2	145891	12
बून्दी	962620	174346	18.1	194851	20.2
भीलवाडा	2013789	316536	15.7	180556	9
राजसमन्द	987024	122502	12.4	129198	13.1
उदयपुर	2633312	158257	6	1260432	47.9
डूंगरपुर	1107643	45986	4.2	721487	65.1
बांसवाडा	1501589	64336	4.3	1085272	72.3
चित्तौडगढ़	1803524	250762	13.9	388311	21.5
कोटा	1568525	300555	19.2	151969	9.7
बारां	1021653	181070	17.7	216869	21.2
झालावाड	1180323	184642	15.6	141861	12
योग	**56507188**	**9694462**	**17.16**	**7097706**	**12.56**

यहां पर हम सिर्फ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दलित/आदिवासी लोगों के लिए जो बजट बनता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगें। अगले भागों में हम अन्य विभागों के माध्यम से इन लोगों के लिए जो बजट बनता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेगें। पहले संक्षिप्त में राजस्थान के वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति/जनजाति के बजट को समाज कल्याण विभाग के माध्यम से देखेगें। बजट के व्यय को दो भागों में बांटते हैं। एक राजस्व व्यय व दूसरा पूंजीगत व्यय।

जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 17.16 प्रतिशत है, परन्तु समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उन्हें राजस्थान का कुल राजस्व व्यय का केवल 0.51 प्रतिशत व कुल पूंजीगत व्यय का 0.17 प्रतिशत ही मिल पाता है। अतः अगर हम पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों को मिला दे तो अनुसूचित जाति को कुल व्यय का केवल 0.44 प्रतिशत ही मिलता है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति को कुल राजस्व व्यय का 0.43 प्रतिशत, पूंजीगत व्यय का 1.10 एवं कुल व्यय का 0.56 प्रतिशत ही मिलता है, जबकि प्रदेश में उनकी जनसंख्या 12.56 प्रतिशत है। (विभिन्न वर्षों का राजस्थान सरकार के कुल राजस्व व पूंजीगत व्यय के लिए इस पुस्तिका के अंतिम पेज पर परिशिष्ट 1 देखें)।

राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 29.72 प्रतिशत हैं परन्तु उनको प्रदेश के कुल राजस्व व्यय का 0.94 प्रतिशत, पूंजीगत व्यय का 1.27 प्रतिशत व कुल व्यय का केवल 1 प्रतिशत ही मिल पाता है।

शुरू में ही हम कह चुके हैं कि यहॉ पर एक प्रतिशत का जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है वह वर्ष 2005–06 के बजट में दिये गये प्रावधानों के आधार पर निकाला गया हैं (ऊपर दिये गये आंकड़ों को सारणी 2 में स्पष्ट रूप से देखे)। पिछले वर्षों के बजट प्रावधान को यदि हम देखें तो पायेगें कि अनुसूचित जाति व जनजाति को कुल व्यय का एक प्रतिशत से भी कम मिलता है। यहॉ ये भी बताना जरूरी है कि यह आंकड़ा बजट प्रावधानों पर आधारित है, हो सकता है कि वास्तविक खर्च 1 प्रतिशत से भी कम हो।

सारणी 2 : जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण हेतु बजट (प्रतिशत में) 2005–06

अनुसूचित जाति की जनसंख्या (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति के लिए कुल राजस्व व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति के लिए कुल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति के लिए कुल राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (प्रतिशत में)	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल राजस्व व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जनजाति के लिए कुल राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति व जनजाति की कुल जनसंख्या (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कुल राजस्व व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कुल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)	अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कुल राजस्व व पूंजीगत व्यय (प्रतिशत में)
17.16	0.51	0.17	0.44	**12.56**	0.43	1.10	0.56	**29.72**	0.94	1.27	**1.00**

2004–05 के संशोधित बजट के अनुसार भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये व्यय कुल व्यय का लगभग 1 प्रतिशत है, जो कि इस वर्ष 2005–06 के प्रतिशत हिस्से के बराबर है, परन्तु 2003–04 के वास्तविक लेखों के अनुसार यह प्रतिशत हिस्सा 0.86 था। पहले ही कह चुके हैं कि वर्ष 2004–05 व 2005–06 के वास्तविक लेखों में भी यह हिस्सा 1 प्रतिशत से नीचे जा सकता है। यह अगले वर्षों की बजट पुस्तिका के आंकड़ों से मालुम होगा।

वर्ष 2005–06 में अगर हम पिछडे वर्ग को अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ जोडकर देखें तो पायेंगे कि यह हिस्सा कुल व्यय का 1.4 प्रतिशत है। अतः पिछडे वर्गों की राशि को जोड़कर यह 1 प्रतिशत के हिस्से में मामूली बढ़त ही देखने को मिलती हैं।

राज्य में अनुसूचित जाति के लिये 33 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिये 17 सीट आरक्षित है (सारणी 3 में देखें)। इनके अलावा भी सदन में छः ऐसे विधायक है जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति के हैं, परन्तु वे सामान्य सीट से चुनाव जीत कर आए है। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या 56 है अर्थात सदन में कुल 26.5 प्रतिशत प्रतिनिधि इस वर्ग के हैं। सदन में इतने सारे विधायक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के होने के बावजूद भी सरकार द्वारा इस वर्ग के कल्याण हेतु किया जाने वाला व्यय राज्य के कुल व्यय का मात्र 1 प्रतिशत ही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विधायकों का जो दल विधान सभा में मौजूद है वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं यदि ऐसा होता तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये सरकार मौजूदा राशि से कई गुणा अधिक राशि सुनिश्चित करती।

बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रावधानों में बढ़ोत्तरी लाने के लिये इस वर्ग के विधायकों को बजट सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध करायी जानी चाहिये तथा बजट के विषय में उनको पर्याप्त ज्ञान मिलना चाहिये।

सारणी 3 : अनुसूचित जाति व जनजाति के विधायक

अनुसूचित जाति के रिजर्व सीट से प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक

क्र.सं.	विधायक का नाम	निर्वाचन सीटों का नाम	पार्टी का नाम
1.	श्रीमती अनिता भदेल	अजमेर पूर्व (अ.जा.) (अजमेर)	भाजपा
2.	श्री अर्जुनलाल जीनगर	गरार (अ.जा.) (चित्तौड़गढ़)	भाजपा
3.	श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'	खंडार (अ.जा.) (स.माधोपुर)	इनेकां
4.	श्री ओ.पी.महेन्द्रा	केसरीसिंहपुर (अ.जा.) (श्रीगंगानगर)	भाजपा
5.	श्री कालूराम यादव	हिन्डौन (अ.जा.) (करोली)	इनेलो
6.	श्री केशर देव बाबर	लक्ष्मणगढ़ (अ.जा.) (सीकर)	भाजपा
7.	श्री खेमाराम मेघवाल	सुजानगढ़ (अ.जा.) (चूरू)	भाजपा
8.	श्री गोपाल लाल धोबी	केकड़ी (अ.जा.) (अजमेर)	भाजपा
9.	श्री गोविन्द राम चौहान	नोखा (अ.जा.) (बीकानेर)	भाजपा
10.	श्री जगन्नाथ पहाडिया	वैर (अ.जा.) (भरतपुर)	इनेकां
11.	श्री जगसीराम कोली	रेवदर (अ.जा.) (सिरोही)	भाजपा
12.	श्री जयराम जाटव	खैरथल (अ.जा.) (अलवर)	भाजपा
13.	श्री जोगेश्वर गर्ग	जालौर (अ.जा.) (जालौर)	भाजपा
14.	श्री टीकम चंद कान्त	सिवाना (अ.जा.) (बाड़मेर)	निर्दलीय
15.	श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची	टीची (अ.जा.) (हनुमानगढ़)	भाजपा
16.	श्री नन्द लाल बंशीवाल	दौसा (अ.जा.) (दौसा)	भाजपा
17.	श्री निर्भय लाल जाटव	रूपवास (अ.जा.) (भरतपुर)	इनेकां
18.	श्री प्रभुलाल वर्मा	पीपलदा (अ.जा.) (कोटा)	भाजपा
19.	श्री बंशीलाल खटीक	श्राजसमन्द (अ.जा.) (राजसमन्द)	भाजपा
20.	श्री बाबूलाल नागर	दूदू (अ.जा.) (जयपुर)	इनेकां
21.	श्री बाबूलाल वर्मा	पाटन (अ.जा.) (बूंदी)	भाजपा
22.	श्री मदन दिलावर	अटरू (अ.जा.) (बारां)	भाजपा
23.	श्री मदन लाल मेघवाल	जायल (अ.जा.) (नागौर)	भाजपा
24.	श्री मोहन मेघवाल	सूरसागर (अ.जा.) (जोधपुर)	भाजपा
25.	श्री रमेश खींची	कठूमर (अ.जा.) (अलवर)	इनेकां
26.	श्री राकेश मेघवाल	परवतसर (अ.जा.) (नागौर)	भाजपा
27.	श्री रामरतन बैरवा	शाहपुरा (अ.जा.) (भीलवाडा)	भाजपा
28.	श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल	देसूरी (अ.जा.) (पाली)	भाजपा
29.	श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा	फागी (अ.जा) (जयपुर)	भाजपा
30.	श्री लाल चन्द मेघवाल	रायसिंहनगर (अ.जा.) (श्रीगंगानगर)	भाजपा
31.	श्री सुन्दर लाल	सूरजगढ (अ.जा.) (झुन्झुनू)	भाजपा
32.	श्रीमती स्नेहलता	डग (अ.जा) (झालावाड)	भाजपा
33.	श्री हीरा लाल रैगर	थानवाई (अ.जा.) (टोंक)	भाजपा

अनुसूचित जनजाति के रिजर्व सीट से प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक

34.	श्री अर्जुनलाल मीणा	सलूम्बर (अ.ज.जा) (उदयपुर)	भाजपा
35.	श्री कनकमल कटारा	सागवाड़ा (अ.ज.जा) (डूंगरपुर)	भाजपा
36.	श्री गौतम लाल मीणा	लसाडिया (अ.ज.जा) (उदयपुर)	भाजपा
37	श्री जीतमल खांट	बागीडोरा (अ.ज.जा) (बांसवाडा)	जेडीयू
38.	श्री नन्द लाल मीणा	प्रतापगढ़ (अ.ज.जा) (चित्तौड़गढ़)	भाजपा
39.	श्री नाथूराम अहारी	डूंगरपुर (अ.ज.जा) (डूंगरपुर)	इनेकां
40.	श्री नानालाल अहारी	खेरवाड़ा (अ.ज.जा) (उदयपुर)	भाजपा
41	श्री फतेह सिंह	कुशलगढ़ (अ.ज.जा) (बांसवाडा)	जेडीयू
42.	श्री बत्तीलाल मीणा	टोडाभीम (अ.ज.जा) (करोली)	भाजपा
43.	श्री बाबू लाल खराडी	फलासिया (अ.ज.जा) (उदयपुर)	भाजपा
44	श्री मांगीलाल गरासिया	गोगुन्दा (अ.ज.जा) (उदयपुर)	इनेकां
45.	श्री राम किशोर मीणा	सिकराय (अ.ज.जा) (दौसा)	भाजपा
46.	श्री वीरेन्द्र मीणा	लालसोट (अ.ज.जा) (दौसा)	भाजपा
47.	श्री समर्थ लाल मीणा	राजगढ़ (अ.ज.जा) (अलवर)	भाजपा
48.	श्री समाराम गरासिया	पिन्ड़वाड़ा आबू (अ.ज.जा) (सिरोही)	भाजपा
49.	श्री हीरा लाल मीणा	बमनवास (अ.ज.जा) (सवाई माधोपुर)	निर्दलीय
50.	श्री हेमराज मीणा	किशनगंज (अ.ज.जा) (बारां)	निर्दलीय

नोट : राजस्थान में कुल मिलाकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधियों की संख्या 56 है। इनमें से छः ऐसे विधायक है जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है, परन्तु वे सामान्य सीट से चुनाव जीत कर आए है।

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु राजस्व व्यय

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये राजस्व खाते के अन्तर्गत प्रावधानों एवं वास्तविक खर्चो का लेखा जोखा सारणी 4 में दिया गया हैं। इससे साफ तौर से पता लग रहा हैं कि समाज के इस वर्ग पर सरकार द्वारा किये गए वास्तविक व्यय में कई वर्षों से वृद्धि हो रही है पर जो बात इस सारणी में दिखाई नहीं पड़ती है, वह यह है कि पिछले कई वर्षों से विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है, इससे मुद्रास्फीति में बढ़ोत्तरी हुई है। चित्र 1 में प्रचलित कीमतों (current price) और स्थिर कीमतों (constant price, base year 1993-94) पर अनुसूचित जाति/जनजाति व पिछड़े वर्गो के कल्याण हेतु वास्तविक राजस्व व्यय (1997–98 से 2004–05 तक) को देखें।

चित्र 1 : प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों पर अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडे वर्गों के कल्याण हेतु कुल राजस्व व्यय, 1997–98 से 2004–05 तक

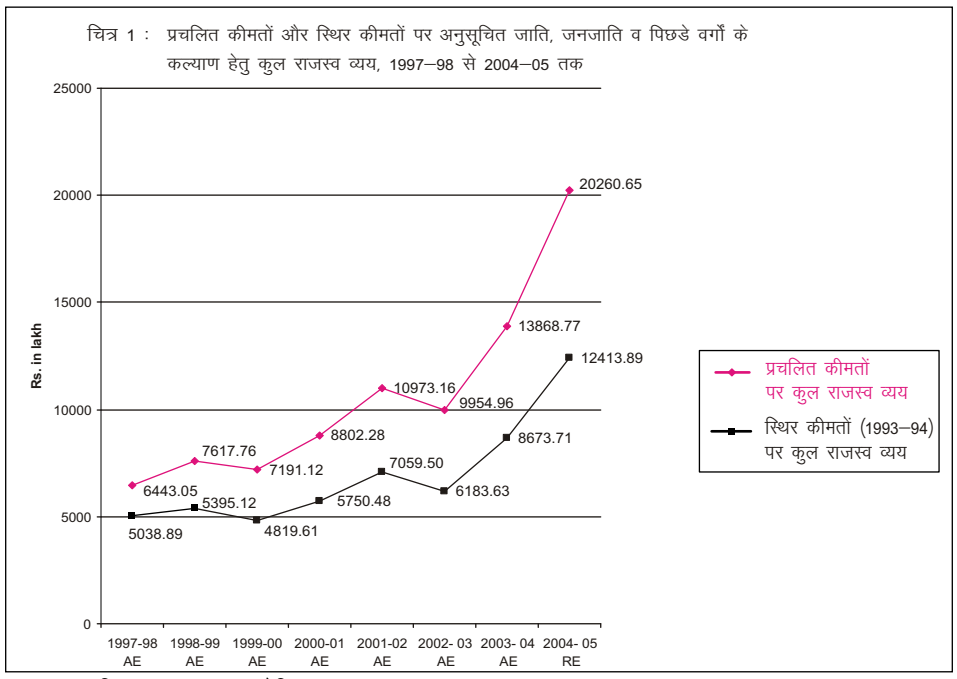

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान

चित्र 1 में हम दो रेखायें देख सकते हैं। गुलाबी रेखा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों पर राजस्व व्यय की है, जो प्रचलित कीमतों पर आधारित है। काली रेखा इसी व्यय को स्थिर कीमतों पर दिखा रही हैं। हालांकि दोनो ही रेखायें ऊपर की ओर जा रही हैं, परन्तु काली रेखा गुलाबी रेखा से काफी नीचे हैं जिससे यह मालुम पड़ता है कि स्थिर कीमतों पर राजस्व व्यय, प्रचलित कीमतों पर राजस्व व्यय की तुलना में काफी कम हैं। उदाहरण स्वरूप, प्रचलित कीमतों पर वर्ष 1997–98 में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के लिए राजस्व व्यय लगभग 64 करोड़ 43 लाख रूपये हुआ था। प्रचलित कीमतों पर यह राशि वर्ष 2003–04 में बढ़कर लगभग 138 करोड़ 68 लाख हो गई। अतः व्यय राशि में लगभग 74 करोड़ 25 लाख रूपये, की वृद्धि हुई थी। लेकिन हम यह वृद्धि को काली रेखा के माध्यम से देखे, अर्थात स्थिर कीमतों के आधार पर देखे, तो यह मालूम होता है कि यह वृद्धि मात्र 36 करोड़ 34 लाख राशि की हुई।

इस विषय पर थोडा और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। हर साल विभिन्न सामानों की कीमतों मे वृद्धि होती है, यह बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष की प्रचलित कीमत पर आधारित बजट की व्यय राशि में शामिल है। इसलिए तुलना करने हेतु चित्र 1 में व्यय राशि को प्रचलित कीमतों के साथ–साथ स्थिर कीमतों के आधार पर भी दिखाया गया है। स्थिर कीमत पर आधारित व्यय का निर्धारण यहॉ पर 1993–94 में जो महंगाई का स्तर था उसके आधार पर किया गया है। 1993–1994 के बाद कीमतों में जो बढ़ोत्तरी हुई वो स्थिर कीमतों पर आधारित व्यय में शामिल नहीं है। हर साल कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार को बहुत सारे मदों के अन्तर्गत व्यय राशि बढ़ानी पडती है। यह व्यय वृद्धि सरकार के वास्तविक इच्छाओं को नहीं दर्शा पाती, स्थिर कीमतों पर व्यय में वृद्धि सरकार की वास्तविक इच्छाओं को दर्शाती है।

सारणी 4 : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कुल राजस्व बजट 1997–98 से 2005–06

रूपये लाखों में

मद		1997-98 BE	1997-98 AE	1998-99 BE	1998-99 AE	1999-00 BE	1999-00 AE	2000-01 BE	2000-01 AE	2001-02 BE	2001-02 AE	2002-03 BE	2002-03 AE	2003-04 BE	2003-04 AE	2004-05 BE	2004-05 RE	2005-06 BE
01 – अनुसूचित जातियों का कल्याण	आयोजना भिन्न	905.73	772.28	1047.02	1075.57	1189.87	1269.39	1524.78	1298.28	1551.87	1465.56	2018.65	1745.80	1896.37	1810.14	2095.23	2051.63	2136.69
	आयोजना	404.21	629.15	953.91	834.43	1059.36	761.29	941.74	600.99	887.67	798.32	1193.39	1116.16	1300.17	1312.57	2431.91	2671.21	3023.99
	सी.एस.एस.	3433.98	2542.90	3830.66	2845.77	5245.75	2084.63	9095.75	4082.81	4975.00	3093.48	4720.00	3477.00	4665.03	5727.30	5419.17	5082.5	6078.22
	योग	**4743.92**	**3944.33**	**5831.59**	**4755.77**	**7494.98**	**4115.31**	**11562.27**	**5982.08**	**7414.54**	**5357.36**	**7932.04**	**6338.96**	**7861.57**	**8850.01**	**9946.31**	**9805.34**	**11238.90**
02 – अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	आयोजना भिन्न	544.29	514.89	655.13	742.54	675.11	825.07	914.64	835.08	948.36	1047.79	1471.98	1142.54	1395.39	1324.99	1413.95	1336.71	1372.61
	आयोजना	2422.48	1694.65	2512.43	1770.86	3306.97	1834.46	2323.47	559.63	990.57	858.72	1867.00	2293.45	3238.57	2967.73	4224.25	5636.97	5901.1
	सी.एस.एस.	294.75	208.72	222.16	240.04	364.42	262.83	389.70	1292.16	1798.55	3554.15	2800.11	14.53	419.87	312.49	1100.35	2159.3	2197.59
	योग	**3261.52**	**2418.26**	**3389.72**	**2753.44**	**4346.50**	**2922.36**	**3627.81**	**2686.87**	**3737.48**	**5460.66**	**6139.09**	**3450.52**	**5053.83**	**4605.21**	**6738.55**	**9132.99**	**9471.30**
03 – पिछड़े वर्गों का कल्याण	आयोजना भिन्न	98.72	79.62	100.85	107.89	106.20	133.04	161.32	130.51	159.80	141.90	204.97	158.32	179.62	181.96	206.23	169.55	176.84
	आयोजना	2.00	0.84	1.19	0.66	41.16	20.41	6.00	2.82	17.82	13.24	11.02	7.16	11.91	14.64	22.00	124.15	166.20
	सी.एस.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	1800.01	216.95	1800.01	1028.62	630.81
	योग	**100.72**	**80.46**	**102.04**	**108.55**	**147.37**	**153.45**	**167.33**	**133.33**	**177.63**	**155.14**	**216.00**	**165.48**	**1991.54**	**413.55**	**2028.24**	**1322.32**	**973.85**
सामान्य (सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता)	आयोजना भिन्न	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आयोजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
	सी.एस.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9.80**
अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण – योग	**आयोजना भिन्न**	**1548.74**	**1366.79**	**1803.00**	**1926.00**	**1971.18**	**2227.50**	**2600.74**	**2263.87**	**2660.03**	**2655.25**	**3695.60**	**3046.66**	**3471.38**	**3317.09**	**3715.41**	**3557.89**	**3686.14**
	आयोजना	**2828.69**	**2324.64**	**3467.53**	**2605.95**	**4407.49**	**2616.16**	**3271.21**	**1163.44**	**1896.06**	**1670.28**	**3071.41**	**3416.77**	**4550.65**	**4294.94**	**6678.16**	**8432.33**	**9101.09**
	सी.एस.एस.	**3728.73**	**2751.62**	**4052.82**	**3085.81**	**5610.18**	**2347.46**	**9485.46**	**5374.97**	**6773.56**	**6647.63**	**7520.12**	**3491.53**	**6884.91**	**6256.74**	**8319.53**	**8270.43**	**8906.62**
	योग	**8106.16**	**6443.05**	**9323.35**	**7617.76**	**11988.85**	**7191.12**	**15357.41**	**8802.28**	**11329.65**	**10973.16**	**14287.13**	**9954.96**	**14906.94**	**13868.77**	**18713.10**	**20260.65**	**21693.85**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान, सी.एस.एस.= केन्द्र प्रवर्तित योजना

बजट प्रावधान और वास्तविक व्यय के बीच में अन्तर

अगर हम सारणी 5 को ध्यान से देखें तो नजर आता है कि कुछ गिने चुने वर्षों को छोड़ कर लगभग सभी वर्षों का वास्तविक व्यय बजट प्रावधानों से कम है। सारणी 5 एवं चित्र 2 से यह तथ्य स्पष्ट होता है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिये 1997–98 में कुल बजट प्रावधान 81 करोड़ 6 लाख 16 हजार रूपये था। जबकि वास्तविक खर्च 64 करोड़ 43 लाख 5 हजार रूपये का ही हुआ। अतः बजट प्रावधान एवं वास्तविक खर्च में अन्तर 16 करोड़ 63 लाख 11 हजार रुपये का देखने को मिला। 2000–01 में बजट के प्रावधान व वास्तविक खर्च में अन्तर सबसे अधिक रहा। 1997–98 से 2003–04 तक अगर हम देखें तो पाते है प्रावधान एवं वास्तविक खर्च में अन्तर औसतन 29 करोड़ 21 लाख 19 हजार रू. का हैं। हर साल सरकार इतनी बढ़ी राशि खर्च करने में क्यों नाकामयाब रहती है ? सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार हम तीन उदाहरण निम्न में देते हैं।

सारणी 5 : बजट प्रावधान (BE) और वास्तविक व्यय (AE) के बीच में अन्तर

रूपये लाखों में

		1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	**BE** और **AE** के बीच में औसत अन्तर प्रतिवर्ष
अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडे वर्गों का कल्याण हेतु कुल बजट	BE	8106.16	9323.35	11988.85	15357.41	11329.65	14287.13	14906.94	
	AE	6443.05	7617.76	7191.12	8802.28	10973.16	9954.96	13868.77	
कितना पैसा खर्च नही कर पाया	**BE - AE**	**1663.11**	**1705.59**	**4797.73**	**6555.13**	**356.49**	**4332.17**	**1038.17**	**2921.19**

चित्र 2 : अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछडे वर्गों का कल्याण हेतु राजस्व खाते में कुल बजट प्रावधान व वास्तविक व्यय

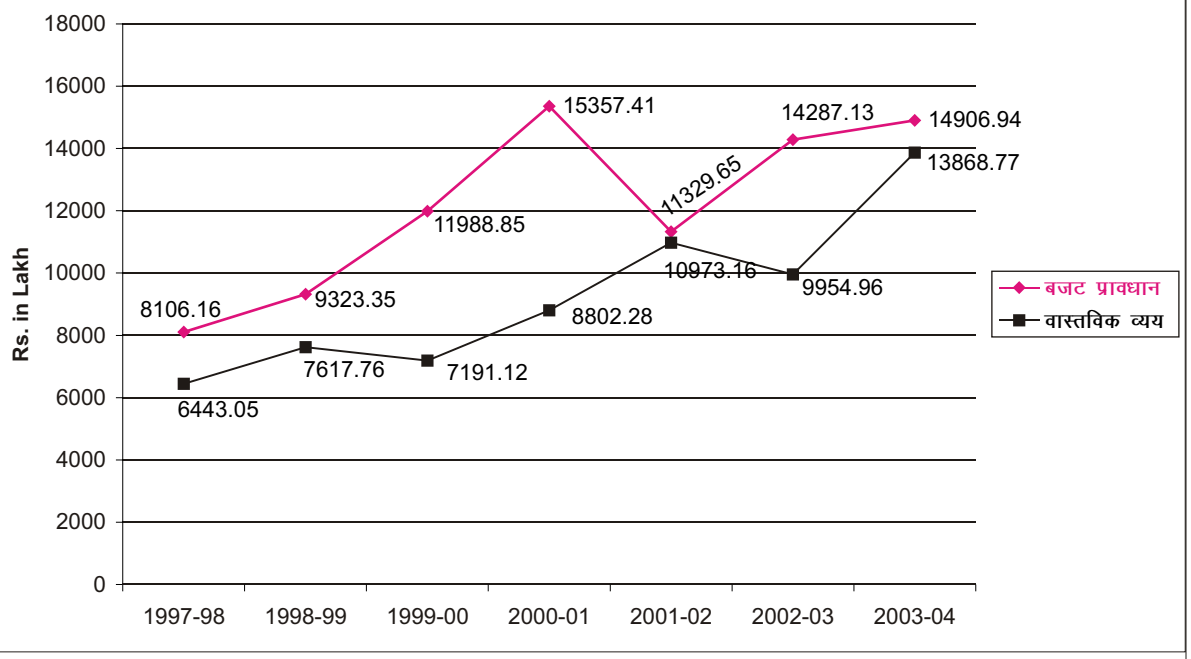

1. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु शिक्षा के खाते में छात्रावासों के संधारण के लिए 2003–04 में 11 करोड 60 लाख 55 हजार रू. का बजट प्रावधान था। 2003–04 के विनियोग लेखे पर सी.ए.जी. की जो टिप्पणी है उससे यह ज्ञात होता है कि इस खाते में सरकार ने 52 लाख 27 हजार रू. कम खर्च किये हैं। इस के लिए तो सरकार खुद जिम्मेदार है ?

2. 2003–04 में अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु शिक्षा के खाते में पूर्व प्रशिक्षण व स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण एवं अम्बेडकर एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 1 करोड 6 लाख रूपये का बजट प्रावधान था। 2003–04 के विनियोग लेखे पर सी.ए.जी. ने टिप्पणी दी है कि केन्द्र सरकार से मिलने वाला केन्द्र प्रवर्तित योजना का पैसा नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार 52 लाख 95 हजार रूपये इस खाते में खर्च नहीं कर पायी।

3. 2003–04 में पिछडे वर्ग के कल्याण हेतु शिक्षा के खाते में छात्रावासों के संधारण (छात्रवृत्ति) के लिए 19 करोड़ 44 लाख 64 हजार रूपये का बजट प्रावधान था। इसमें से 15 करोड़ 96 लाख 73 हजार रूपये खर्च नहीं हुए। विनियोग लेखे पर सी.ए.जी. ने क्या टिप्पणी दी ? केन्द्र सरकार से छात्रवृत्ति के लिए पूरे पैसे नहीं मिलने के कारण और साथ साथ मांग के अनुसार कॉलेजों द्वारा छात्रवृत्ति कम बांटने के कारण राज्य सरकार 14 करोड़ 87 लाख 23 हजार रू. खर्च नहीं कर पाई। अन्त में जो 1 करोड़ 9 लाख 50 हजार रूपये बचे, राज्य सरकार की तरफ से सी.ए.जी. के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला।

निष्कर्ष

अतः सरकारी व्यवस्था के उच्च स्तर में खामियॉ, इकाई स्तर की अदक्षता एवं केन्द्र सरकार की ओर से अपर्याप्त वित्त में मदद ही मुख्यतः तीन कारण यहां पर दिखाई देते हैं जिनके फलस्वरूप बजट प्रावधान व वास्तविक व्यय में निरन्तर अन्तर देखा जा रहा है। सरकारी प्रबन्धन व्यवस्था और उच्च तथा निम्न अधिकारियों की अदक्षता व अकुशलता के कारण से बजट की बहुत राशि व्यय नहीं हो पाती है, जैसे कि वर्ष 2003–04 में जिला कलेक्टरों ने विधवा पेंशन हेतु 7 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च नहीं करके सरकार को समर्पण कर दिया था (वर्ष 2003–04 के विनियोग विधेयक पर सी.ए.जी. रिपोर्ट के अनुसार)।

सुझाव

अगर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बजट प्रावधान का लाभ पूरी तरह उठाया जाये तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी व्यवस्था पूर्ण दक्षता के साथ कार्य करें। इसके लिये आम जनता में सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर जागरूकता लाने की जरुरत है।

आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय

चित्र 3 में हम देख सकते है कि लगभग 1999–00 से 2002–03 तक आयोजना व्यय आयोजना भिन्न व्यय से काफी कम था। जिस को

चित्र 3 : अनु. जाति, जनजाति व पिछडे वर्गों के कल्याण हेतु कुल आयोजना भिन्न व्यय व आयोजना व्यय

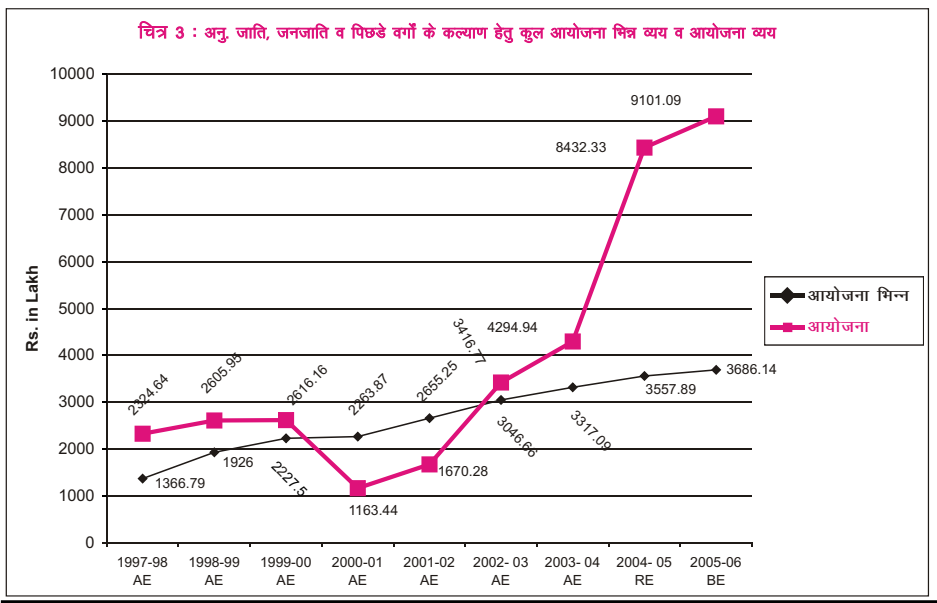

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

विकास के दृष्टिकोण से हम अच्छा नहीं मानते है क्योंकि आयोजना भिन्न व्यय का एक मोटा अंश सरकारी कार्यालयों पर ही खर्च हो जाते हैं (जैसे की संवेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, चिकित्सा व्यय इत्यादि)। इनका प्रत्यक्ष प्रभाव विकास पर कम ही होता है।

1999–00 से 2002–03 तक अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास हेतु बनाये गये विभागों के प्रशासन पर व्यय ज्यादा हो रहा था और प्रत्यक्ष विकास कार्यों पर कम। वर्ष 2003–04 के बाद स्थिति में काफी सुधार देखने को मिला है। 2002–03 के बाद इन विभागों पर आयोजना व्यय आयोजना भिन्न व्यय से काफी ज्यादा हैं, अर्थात सरकार विकास मदों पर प्रशासनिक मदों की तुलना में ज्यादा खर्च कर रही है। लेकिन इसकी जांच करने के लिए हमें बजट को और गहराई से देखना पड़ेगा जिसकी कोशिश हम आगे करेगें।

वर्ष 2004–05 एवं 2005–6 में तो आयोजना व्यय, आयोजना भिन्न व्यय से काफी ज्यादा है। 2004–05 में जहां आयोजना भिन्न व्यय लगभग 35 करोड़ 57 लाख हैं वहीं आयोजना व्यय 84 करोड़ 32 लाख हैं। इसे विकास के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत मान सकतें हैं, परन्तु अगर हम विभिन्न मदों के इकाईयों पर खर्च देखे तो हमें यह मालुम पड़ेगा कि आयोजना का पैसा भी ज्यादातर निर्देशन और प्रशासन में खर्च होता है। अतः यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि सरकार विकास के प्रति उतनी गम्भीर नहीं है जितना की हमें चित्र 3 से ज्ञात हो रहा है।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

अनुसूचित जाति के लिए आयोजना भिन्न व्यय

सारणी 6 में हम देख सकतें हैं कि आयोजना भिन्न व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु जो व्यय होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति के छात्रावासों के संधारण के लिये जाता है। निर्देशन एवं प्रशासन पर भी इस व्यय का एक बडा अंश होता है।

सारणी 6 : अनुसूचित जाति के लिए आयोजना भिन्न व्यय के मुख्य मद

रूपये '000 में (आखरी कॉलम छोडकर)

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005–06 का प्रतिशत
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE	
निर्देशन और प्रशासन	26863	29281	41975	38984	35533	40087	38269	41161	45282	47930	22.43%
छात्रावासों का संधारण	34225	38889	53082	71365	78555	88673	97291	107290	74641	79148	37.04%
अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	8556	9058	12500	16590	15740	17796	19410	21070	19155	19976	9.35%
जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता									46752	46752	21.88%
अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ठ संघठक योजना							19610	11493	19363	19863	9.30%
योग	**69644**	**77228**	**107557**	**126939**	**129828**	**146556**	**174580**	**181014**	**205193**	**213669**	**100%**

AE=वास्तविक व्यय, RE=संशोधित अनुमान, BE=बजट प्रावधान

सारणी 6 में बजट के आंकड़ों से दो महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आ रहें है :

1. वर्ष 1996–97 से 2003–04 तक छात्रावासों के संधारण हेतु व्यय राशि में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन वर्ष 2003–04 के बाद यह घट गया है।

2. वर्ष 2004–05 से जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता दी जा रही है। संविधान के 73वीं संशोधन की मदद से यह हो रहा हैं। यह संशोधन पंचायत के सशक्तिकरण के लिये किया गया है। इस के फलस्वरूप जहॉ 2003–04 तक अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु जिला परिषदों के लिये अलग से बजट में कोई भी प्रावधान नही था वहीं 2003–04 के पश्चात छात्रावासों के संधारण के लिये दी जाने वाली राशि का एक हिस्सा जिला परिषदों को दिया जाने लगा है। इसी कारण पूर्व की तुलना में छात्रावासों के रखरखाव हेतु बजट राशि में कमी दिखाई देती है। हालांकि यहॉ यह बताना जरुरी है कि पंचायतों को दी गई यह राशि भी छात्रावासों पर ही खर्च

चित्र 4 : अनुसूचित जाति के लिए आयोजना भिन्न व्यय का मदों का प्रतिशत भाग

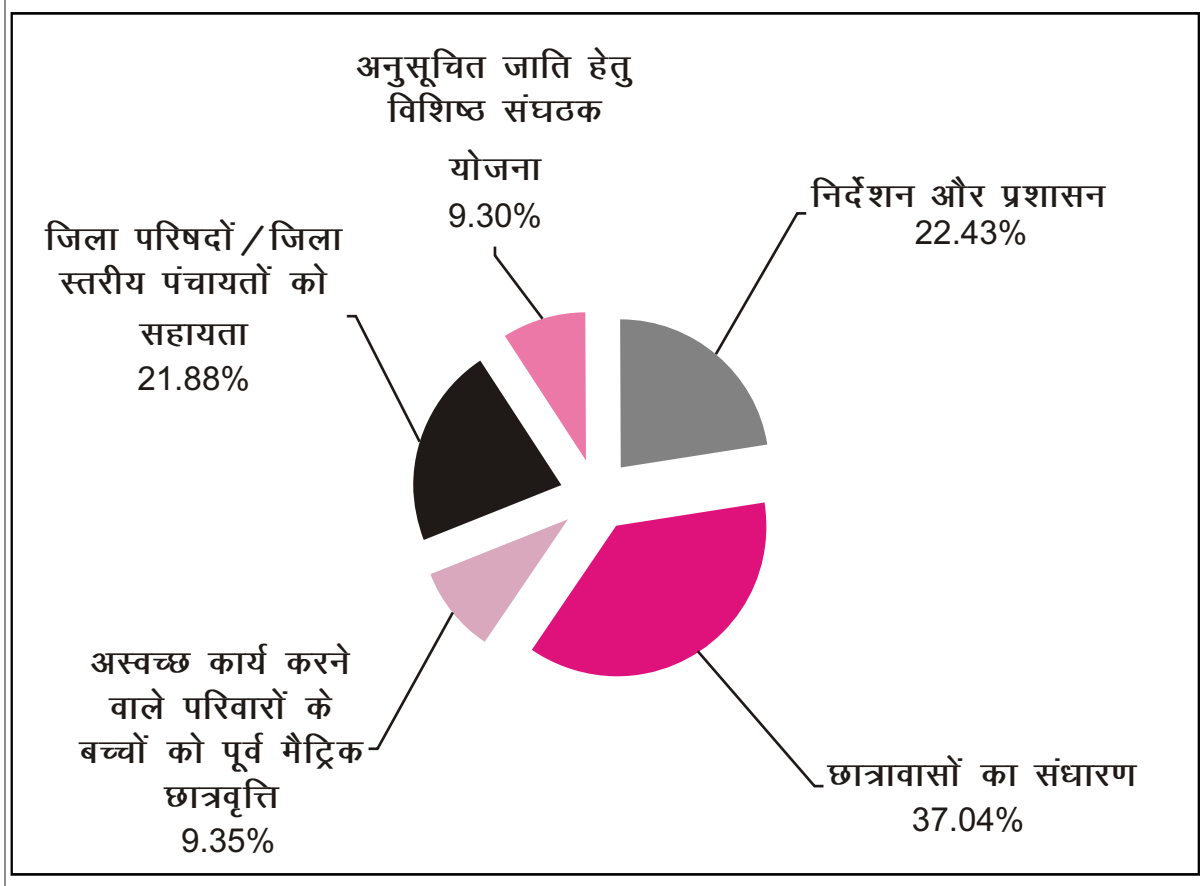

चित्र 4 से हम देख सकते हैं कि वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये आयोजना भिन्न खाते में जो प्रावधान है, उसका लगभग 37 प्रतिशत छात्रावासों के संधारण के लिये है, 22.43 प्रतिशत निर्देशन और प्रशासन के लिये है। जिला स्तरीय पंचायतों के लिए लगभग 22 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजनाओं तथा अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति पर व्यय का बहुत कम भाग खर्च होता है।

आयोजना भिन्न व्यय : शिक्षा के अन्तर्गत छात्रावासों के संधारण के लिये व्यय

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावास के संधारण हेतु आयोजना भिन्न व्यय का सबसे बडा भाग प्रशासन पर खर्च होता है। 2005–06 के बजट में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावासों के संधारण हेतु 4 करोड़ 47 लाख 60 हजार रू. का प्रावधान केवल प्रशासन के लिये है। इसमें से 3 करोड़ 76 लाख रू. संवेतन पर खर्च किए जाने है। सरकार ने किराया व कर/रायल्टी हेतु 13 लाख 68 हजार रू. का प्रावधान रखा है। शायद इसका कुछ भाग किराये के छात्रावासों का किराया चुकाने के लिये भी खर्च होता है।

आयोजना भिन्न के अन्तर्गत छात्रावास का संधारण हेतु कुछ व्यय ऐसे है जिनसे छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। छात्रावासो में विस्तृत "खाद्य, वस्त्र व अन्य खर्च" शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को इसी में गिना जाता है। 2005–06 के बजट में सरकार ने इस खाते में 3 करोड़ 30 लाख का प्रावधान रखा है।

आयोजना भिन्न व्यय : अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना

अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 के पहले आयोजना भिन्न के तहत कोई भी खर्च हुआ नहीं था। 2002–03 से इस पर चार शीर्षों के अन्तर्गत खर्च होने आरम्भ हुआ है :

1. अनुदानित छात्रावासों को सहायता
2. स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता
3. अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण आयोग
4. आवासीय विद्यालयों का संचालन

सारणी 7 : अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ठ संघठन योजना पर आयोजना भिन्न व्यय

रूपये '000 में

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	RE	BE
अनुदानित छात्रावासों को सहायता	7998	7985	5200	5200
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	2076	1783	1860	1860
अनु. जाति जनजाति कल्याण आयोग	1000	1725	1350	1500
आवासीय विद्यालयों का संचालन	8536	0	10953	11303

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान,

सारणी 7 में साफ दिख रहा है कि अनुदानित छात्रावासों को दी जाने वाली सहायता राशि का परिमाण लगातार घट रहा है। 2003–04 में यह राशि लगभग 80 लाख रूपये की थी जिसे 2005–06 के बजट में घटा कर 52 लाख रूपये कर दिया गया है।
स्वैच्छिक अभिकरणों को दिये जाने वाली सहायता राशि में खास उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर खर्च की गई राशि लगभग स्थिर है।

अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण आयोग को दी जाने वाली राशि में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिये, 2002–03 में इस शीर्ष पर 10 लाख रू. का व्यय हुआ। 2003–04 में यह राशि बढ़ कर 17 लाख 25 हजार रूपये हो गयी, परन्तु 2005–06 में इस पर 15 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है। आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु व्यय में 2002–03 की तुलना में 2005–06 के बजट प्रावधानों में वृद्धि हुई है। 2003–04 में सरकार ने इस खाते पर कोई भी व्यय नहीं किया था।

अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु आयोजना व्यय

सारणी 8 में हम देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु निदेशन और प्रशासन पर आयोजना खाते से केवल 2001–02 तक ही खर्चा होता था। इसके पश्चात् इस खाते में व्यय के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया। आयोजना खाते से निदेशन और प्रशासन व्यय को हटाना एक अच्छा कदम है। सारणी से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु आयोजना व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना के खाते में जाता है। इस क्षेत्र को अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु आयोजना व्यय का लगभग 88 प्रतिशत मिलता है। इस शीर्ष के अन्तर्गत जो व्यय हो रहा है उसे किस तरह विभाजित किया जा रहा है अर्थात उसका खर्च किन–किन खातों में हो रहा है इसकी जानकारी आगे दी गई है।

सारणी 8 : अनुसूचित जाति के लिए आयोजना व्यय के मुख्य मद

रूपये हजारों में (आखरी कॉलम छोड़कर)

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005–06 का प्रतिशत
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE	
निर्देशन और प्रशासन	255	499	499	362	330	341	0	0	0	0	0.00%
छात्रावासों का संधारण							1485		68080	24670	8.16%
जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता									10	20	0.01%
अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघठक योजना	0	52474	57196	67216	61690	201	100326	116656	186531	265209	87.70%
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2905	8973	8273	8123	8479	9290	9805	11500	12500	12500	4.13%
योग	**3160**	**61946**	**65968**	**75701**	**70499**	**79832**	**111616**	**128156**	**267121**	**302399**	**100.00%**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान,

आयोजना व्यय : छात्रावासों का संधारण

2003–04 तक छात्रावासों के संधारण हेतु आयोजना व्यय के अन्तर्गत नियमित रूप से खर्च नहीं हुआ करता था। 2004–05 से इस खाते के लिए बजट में नियमित रूप से प्रावधान रखा जा रहा है। 2005–06 में छात्रावास के संधारण हेतु कुल 2 करोड़ 46 लाख 40 हजार की राशि आयोजना खाते से व्यय होने का प्रावधान है, जिसमें 55 लाख 80 हजार की राशि संवेतन तथा प्रशासन के लिये आवंटित है। किराया रेट व कर रायल्टी के लिये 13 लाख 50 हजार रू. की राशि है। छात्रों के प्रत्यक्ष लाभ के लिये (जैसे खाद्य, वस्त्र व अन्य खर्च) 77 लाख 50 हजार रू. का प्रावधान इस साल के बजट में रखा गया है। इसके अलावा आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिये 1 करोड़ रू. की राशि रखी गई है। किन्तु इस बात की सूचना हमें नहीं है कि कौन से आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण की सरकार बात कर रही है।

आयोजना व्यय : अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना

वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति एवं वजीफा के लिये आयोजना खाते में 9 करोड़ 28 लाख 85 हजार रू. का प्रावधान है। अनुदानित छात्रावासों के सहायतार्थ 25 लाख 50 हजार रू. का प्रावधान रखा गया है। बुक बैंक के लिये 17 लाख 50 हजार तथा अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिये 2 करोड़ रू. रखे गये है। स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता के लिए सरकार 2001–02 तक ही व्यय करती थी। इसके उपरान्त सरकार ने इस खाते पर व्यय करना बन्द कर दिया है।

सरकार आयोजना खाते से नागरिक सुरक्षा पर भी व्यय करती है। अनुसूचित जातियों के लिये नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य है– इनके प्रति अत्याचार व दुर्व्यवहार को रोकना। अनुसूचित जाति हेतु नागरिक सुरक्षा के लिये सरकार ने 2005–06 के बजट में 2 करोड़ 4 लाख रू. का प्रावधान रखा हैं।

सम्बल गांवों के विकास पर सरकार ने इस साल 3 करोड़ रू. की राशि रखी है। राज्य में सम्बल गांवों की संख्या है 2403। इसका अर्थ है प्रत्येक गॉव के लिये केवल 12,180 रू. ही है। सालाना इतनी सी राशि से क्या किसी गॉव का विकास सम्भव है ? पिछले

सारणी 8 : अनुसूचित जाति के लिए आयोजना व्यय के मुख्य मद

रूपये हजारों में (आखरी कॉलम छोड़कर)

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005–06 का प्रतिशत
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE	
निर्देशन और प्रशासन	255	499	499	362	330	341	0	0	0	0	0.00%
छात्रावासों का संधारण							1485		68080	24670	8.16%
जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता									10	20	0.01%
अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघठक योजना	0	52474	57196	67216	61690	201	100326	116656	186531	265209	87.70%
जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	2905	8973	8273	8123	8479	9290	9805	11500	12500	12500	4.13%
योग	**3160**	**61946**	**65968**	**75701**	**70499**	**79832**	**111616**	**128156**	**267121**	**302399**	**100.00%**

वर्षों में तो हर सम्बल गांवों को इस से भी कम राशि मिलती थी।

जर्मन सहायता के अन्तर्गत आवासीय विद्यालयों के लिये सरकार ने 25 लाख रू. का प्रावधान रखा हैं। इसके अलावा आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु 6 करोड़ 77 लाख 74 हजार रू. का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के निराश्रित बच्चों हेतु 'पालनहार योजनान्तर्गत सहायता' हेतु सरकार द्वारा इस साल के बजट में 50 लाख रू. का प्रावधान रखा है। अनुप्रति योजना में 1 करोड़ 50 लाख 17 हजार रू. की सहायता राशि है। (इन सारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पुस्तिका में दी गई योजनाओं से संबंधित अध्याय को देखे)।

आयोजना व्यय : जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजना

उदयपुर, बाँसवाडा, डूंगरपुर, चित्तोडगढ़ व सिरोही इन जिलों के अन्तर्गत आने वाले जनजातिय क्षेत्रों के विकास के लिये सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के नाम से योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आयोजना खाते से इसके तहत अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्रवृत्ति के लिये 1 करोड़ 10 लाख रू. का प्रावधान वर्ष 2005–06 के बजट में रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार नागरिक सुरक्षा पर भी खर्च करती है। वर्ष 2005–06 में अनु. जाति हेतु नागरिक सुरक्षा के लिये 15 लाख रू. का प्रावधान है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय : अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संगठक योजना

अनुसूचित जाति हेतु विशिष्ट संघटक योजना हेतु केन्द्रीय प्रवर्तित योजना से भी व्यय होता है। छात्रवृत्ति व वजीफा के लिये वर्ष 2005–06 में 21 करोड़ 57 लाख 72 हजार रू. का प्रावधान रखा गया है। इस शीर्ष पर 1998–99 में केवल 1 करोड़ 97 लाख 33 हजार रू. का ही वास्तविक खर्च हुआ था। परन्तु पिछले दो सालों से इस पर व्यय का प्रावधान बढाया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार छात्रों के हित के प्रति गम्भीर है, परन्तु क्या इस राशि का सही ढंग से उपयोग हो पा रहा है – इस पर एक बड़ा प्रश्न चिह्न है। स्वयंसेवी संस्था, जन संगठनों एवं छात्र संगठनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार इस राशि का सही ढंग से उपयोग करे।

सारणी 9 : अनुसूचित जाति के लिए विशिष्ठ संघठन योजना पर केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
छात्रवृत्ति एवं वजीफा	19733	25590	34178	56897	30833	70343	176310	215772
बुक बैंक	1500	0	1500	560	940	0	940	1750
अस्वच्छ कार्य करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति	302	0	7581	1391	9305	12459	12000	14800
नागरिक सुरक्षा हेतु सहायता	5000	0	0	1285	1195	3258	19000	25500

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान,

सारणी 9 से हम देख सकते हैं कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति की कुल राशि में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 1998–99 में इस शीर्ष पर वास्तविक खर्च केवल 3 लाख 2 हजार रू. का ही था। वर्ष 2005–06 में इसके लिये 1 करोड़ 48 लाख रूपये का ही प्रावधान रखा गया है।

नागरिक सुरक्षा हेतु सहायता के लिये भी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से किये गये व्यय में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। 1998–99 में इस पर वास्तविक खर्च 50 लाख रू. का ही था। वर्ष 2005–06 के बजट में इसके लिये 2 करोड़ 55 लाख का प्रावधान रखा गया है।

छात्रवृत्ति व वजीफा तथा नागरिक सुरक्षा हेतु व्यय मे जो बढ़ोतरी देखी जा सकती है, वे पिछले 2 वर्षों से ही हो रही है। इस से पूर्व ऐसा नहीं था।

इन ऑकड़ों में एक बात तो साफ नजर आ रही हैं कि सरकार विकास हेतु व्यय में वृद्धि के लिये इच्छुक है। पर हमें यहॉ एक बात ध्यान में रखनी होगी कि वर्ष 2004–05 की राशि संशोधित अनुमान है और 2005–06 की राशि बजट अनुमान है। अर्थात दोनों ही वर्षों के ऑकड़े वास्तविक राशि नहीं है। अतः ये वास्तविक खाते में घट सकतें हैं, जो एक सामान्य प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं हो तथा प्रावधानित राशि का लाभ पूर्ण रूप से मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिये सरकार पर दबाव डालना जरूरी हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय : अनुसूचित जाति के लिए घटक योजना

अनुसूचित जातियों की घटक योजनाओं के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से सरकार पैसा व्यय करती हैं। इस के तहत सरकार ने 'अनुसूचित जाति उपयोजना' पर 1996–97 में 17 करोड़ 39 लाख 55 हजार रू. खर्च किए थे। वर्ष 2003–04 में इस शीर्ष पर व्यय की गई राशि 48 करोड़ 60 लाख 70 हजार रू. थी जो कि 1996–97 की राशि के दुगने से भी ज्यादा है। वर्ष 2005–06 में इस शीर्ष पर 35 करोड़ रू. का प्रावधान रखा गया है, परन्तु उपलब्ध दस्तावेजों से ये मालूम नहीं हो पा रहा हैं कि इस उपपरियोजना का क्या उद्देश्य हैं व इस पर व्यय से अनुसूचित जाति के लोगों को क्या लाभ मिलता है।

नोट : वर्ष 2005–06 के बजट में आयोजना व्यय व केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय के माध्यम से अनुसूचित जाति के लिए नागरिक सुरक्षा हेतु कुल 4 करोड़ 95 लाख रूपये, अर्थात् लगभग 5 करोड़ रूपये का प्रावधान है। स्वयंसेवी संस्थाओं व संगठनों को सुनिश्चित करना होगा कि इस राशि का पूरा पूरा लाभ अनुसूचित जाति वांछित नागरिकों तक पहुंचे।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

आयोजना भिन्न व्यय : निदेशन एवं प्रशासन

वर्ष 2005–06 के बजट में अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु निदेशन एवं प्रशासन के लिये 24 लाख 80 हजार रू. का प्रावधान आयोजना भिन्न खाते में रखा गया है, जो कि जनजातीय कल्याण हेतु कुल आयोजना भिन्न व्यय का 1.8 प्रतिशत है। निदेशन एवं प्रशासन पर व्यय का सबसे बड़ा भाग संवेतन के लिये जाता है।

आयोजना भिन्न व्यय : शिक्षा खाते में छात्रावासो के संधारण हेतु व्यय (जिला परिषद के माध्यम से)

संविधान के 73वीं संशोधन के तहत जिला पंचायतों को सशक्तिकरण हेतु सरकार की तरफ से जिला स्तरीय पंचायतों को आर्थिक सहायता दी जा रही है (वर्ष 2004–05 से)। इस कारण छात्रावासों के संधारण के लिये व्यय का कुछ हिस्सा पिछले दो वर्षों से जिला परिषदों के माध्यम से दिया जा रहा है। वर्ष 2005–06 में जिला परिषदों के लिये छात्रावास के संधारण हेतु बजट में 2 करोड़ 80 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के छात्रावासों के संधारण के लिये 67 लाख रू. व जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अनुदानित छात्रावासों की सहायता के लिये 39 लाख 40 हजार रू. का प्रावधान रखा गया है। जिला परिषदों के माध्यम से कुल मिलाकर 3 करोड़ 86 लाख 42 हजार रू. का प्रावधान है।

आयोजना व्यय : शिक्षा

शिक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति व वजीफा के लिये वर्ष 2005–06 में 7 करोड़ 4 लाख 95 हजार रू. के आयोजना व्यय का प्रावधान रखा गया है। 1996–97 में इसके लिये केवल मात्र 94 लाख 48 हजार रूपये खर्च हुआ था। अतः 1996–97 की तुलना में 2005–06 में यह राशि लगभग 7.5 गुणा बड़ी है। सम्पूर्ण तथ्य के लिए सारणी 10 देखे।

सारणी 10 : अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति व वजीफा पर आयोजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
संचालक, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	9448	25612	25674	29484	30879	25728	65629	70254	70495	70495

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

केन्द्र प्रवर्तित योजना : शिक्षा

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत शिक्षा खाते में छात्रवृत्ति व वजीफा के लिये वर्ष 2005–06 में 21 करोड़ 7 लाख 45 हजार रू. का प्रावधान रखा गया है (सारणी 11 में देखें)। इस शीर्ष पर पिछले वर्षों के वास्तविक व्ययों को देखें तो हमे यह होता मालूम है कि वर्ष 2001–02 को छोड़कर यह ऑकड़े हमेशा 4 करोड़ के नीचे था। वर्ष 2000–01 और 2002–03 में तो कोई राशि दिखाई नहीं देती है।

परन्तु 2004–05 के संशोधित अनुमान में व 2005–06 के बजट अनुमान में यह ऑकड़े 21 करोड से ज्यादा है। आयोजना व्यय एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति और वजीफा हेतु व्यय के प्रवृति के लिये सारणी 10 व 11 देखें।

सारणी 11 : अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना पर केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
संचालक, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	38551	16236	22228	26212	0	103800	0	30057	210745	210745

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

आयोजना भिन्न व्यय व आयोजना व्यय : छात्रावासों का संधारण

हम पहले देख चुके हैं कि सरकार छात्रावासों के संधारण के लिये जिला परिषदों के माध्यम से भी व्यय करती है। इसके अलावा आयोजना भिन्न एवं आयोजना व्यय के अन्य माध्यमों से भी सरकार इस शीर्ष पर खर्च करती है।
छात्रावासों का संधारण पर आयोजना भिन्न खाते में होने वाले व्यय आयोजना खाते से होने वाले व्यय की तुलना में काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2005–06 में छात्रावासों का संधारण के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान 98 लाख 50 हजार रू. है, परन्तु इसके लिये आयोजना भिन्न व्यय का बजट अनुमान 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार रू. है जो की आयोजना व्यय का लगभग 4.5 गुणा है। छात्रावासों के संधारण हेतु आयोजना भिन्न व्यय का सबसे बड़ा भाग संवेतन के लिये जाता है। वर्ष 2005–06 के बजट में संवेतन के लिये 2 करोड़ 36 लाख रू. का प्रावधान है। आयोजना भिन्न व्यय का दूसरा बड़ा भाग छात्रावासों के छात्रों के लिए खाद्य, वस्त्र आदि पर खर्च होता है। वर्ष 2005–06 में इसके जरिये 1 करोड़ 40 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है।

छात्रावासों के संधारण हेतु संवेतन के लिये वर्ष 2005–06 के बजट में 28 लाख 25 हजार रू. का आयोजना खाते में प्रावधान रखा गया है। छात्रों के लिए खाद्य, वस्त्र एवं अन्य खर्च पर 42 लाख 25 हजार रू.का प्रावधान है।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में अनुसूचित जनजाति के लिए निर्देशन और प्रशासन हेतु आयोजना भिन्न व्यय (कमिशनर, ट्राईबल एरिया सब–प्लान के माध्यम से)

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत प्रशासन के लिये सरकार ने आयोजना भिन्न खाते से विभिन्न शीर्षों के माध्यम से 2005–06 में 2 करोड़ 75 लाख 96 हजार रू. खर्च करने का प्रावधान रखा है। 1996–97 से 2005–06 तक इस पर वास्तविक खर्चों व प्रावधानों की प्रवृति हम सारणी 12 में देखें। इस सारणी में दिये गये शीर्षों पर जो खर्च हो रहा है वो केवल सम्बन्धित विभागों के विभिन्न कार्यालयों का निदेशन और प्रशासन के खर्च के रूप में व्यय होता है। उदयपुर, बांसवाडा, डूँगरपुर, चितोडगढ व सिरोही जिलों के जनजाति क्षेत्र

सारणी 12 : जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में अनुसूचित जनजाति के लिए आयोजना भिन्न व्यय (कमिशनर, ट्राईबल एरिया सब–प्लान के माध्यम से)

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
(i) उप शासन सचिव, जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग,	1662	1936	2579	2401	2490	2691	3033	3333	4020	4155
(ii) आयुक्त जन जाति क्षेत्रीय विकास	6548	7504	9382	9788	9204	9893	10868	11050	11740	12490
(iii) जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय	2008	2314	3280	3536	2954	3167	3169	3221	3695	3895
(iv) समेकित जन जाति विकास परियोजना, उदयपुर	0	808	1120	1061	1110	1227	1455	1641	1745	1775
(v) समेकित जन जाति विकास परियोजना बांसवाडा	0	673	770	1047	1002	972	1224	1366	1525	1605
(vi) समेकित जन जाति विकास परियोजना डूंगरपुर	0	883	805	858	1093	1165	1150	1343	1370	1530
(vii) समेकित जन जाति विकास परियोजना प्रतापगढ़	0	886	936	752	809	747	754	884	1085	1126
(viii) समेकित जन जाति विकास परियोजना आबू रोड	0	535	808	776	799	790	723	886	970	1020
योग	**10218**	**15539**	**19680**	**20219**	**19461**	**20652**	**22379**	**23724**	**26150**	**27596**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

में विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से प्रशासन के लिये खर्च का जो प्रावधान सारणी 12 में हम देखते हैं, वे सिर्फ कर्मचारियों के संवेतन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, कार्यालय व्यय इत्यादि के लिये है। इनमें जनजाती क्षेत्र के लोगों के प्रत्यक्ष विकास (जैसे अनुदान, प्रशिक्षण, ऋण इत्यादि) के लिये प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है। जनजाति लोगों को अप्रत्यक्ष क्या–क्या लाभ मिलता है, सारणी 12 में दिये गए ऑकड़ों के आधार पर हम किसी भी प्रकार का विश्लेषण करने में असमर्थ है क्योंकि हमको सरकारी दस्तावेजों में साफ तौर से नहीं पता चलता कि जिन कार्यालयों की बात हमने ऊपर की है उनके द्वारा विकास के कौन से काम होते हैं।

आयोजना व्यय : निदेशन और प्रशासन

सारणी 12 में दिये गये जो मदों/शीर्षों पर सरकार आयोजना भिन्न खाते से व्यय करते हैं, उन मदों पर आयोजना व्यय वर्ष 2001–02 के बाद समाप्त कर दिया हैं।

आयोजना व्यय : जनजाति क्षेत्र उपयोजना सहायतार्थ/अनुदान

आयोजना खाते से जनजाति उपयोजना क्षेत्र सहायतार्थ सरकार जो व्यय करती है, उसके विस्तृत आंकडे हम सारणी 13 से देख सकते है। आन्तरिक प्रावधान हेतु 2005–06 में सरकार ने 20 लाख रू. की राशि आवंटित की है। इस शीर्ष के तहत राशि किस पर खर्च होनी है यह स्पष्ट नहीं है। वर्ष 2003–04 में जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये सारणी 13 में शून्य राशि दिखाई देती है। परन्तु 2004–05 व 2005–06 में इस शीर्ष के लिये पहले की तुलना में काफी बड़ी राशि का प्रावधान रखा गया है। सामुदायिक डीजल

सारणी 13 : जनजाति क्षेत्र उपयोजना सहायतार्थ/अनुदान हेतु आयोजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	RE	BE
आन्तरिक प्रावधान (विशेष केन्द्रीय सहायता)	7000	0	7000	2000
जन जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	342	0	4139	2964
सामुदायिक डीजल पॅम्प हेतु अभिकरणों को सहायता	1000	3375	9000	5000
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधार्न्तगत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनायें	30000	37711	69446	46765
राजस्थान को मत्स्य एवं सहकारिता विकास	6524	18774	20837	0
उपयोजना क्षेत्र में विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य	10500	4138	3500	0
कृषि विकास कार्यो हेतु सहायता	12765	20269	77920	75894
अनुसूचति जाति निगम को अनुदान	0	10000	15000	20600
बैफ को सहायतार्थ अनुदान	978	0	626	980
जनजाति के लोगों हेतु सामान्य सेवायें	515	850	1890	7554
योग	**81544**	**107472**	**228167**	**161757**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

पम्प हेतु अभिकरणों को सहायता के लिये 50 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाओं के लिये सरकार काफी राशि खर्च करती है। 2002–03 में सरकार ने लगभग 3 करोड़ की राशि इस पर व्यय की थी। 2004–05 में इस पर व्यय का संशोधित अनुमान लगभग 7 करोड़ रू. का है। वर्ष 2005–06 में इस शीर्ष के लिये 4.5 करोड़ रू. से भी ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत इलाका में मत्स्य पालन विकास व विद्युतीकरण के लिए वर्ष 2005–06 के बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि पिछले वर्ष तक इन शीर्षों पर राशि व्यय हुआ था। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति निगमों को अनुदान, बैंफ को सहायता, एवं जनजाति के लोगों को सामान्य सेवाओं के लिये भी सरकार नियमित रूप से खर्च कर रही है। अधिक जानकारी के लिये सारणी 13 देखें।

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत व्यय : जनजाति उपयोजना क्षेत्र सहायतार्थ/अनुदान

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए अनुदान हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के माध्यम से वर्ष 2005–06 में सिर्फ जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था के लिये सरकार ने व्यय का प्रावधान रखा है। 2004–05 के संशोधित बजट में इसके लिये 11 लाख 26 हजार रू. का प्रावधान है। वर्ष 2005–06 में राशि को दुगना कर 22 लाख 64 हजार रू. कर दिया गया है।

आयोजना भिन्न व्यय : परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम

परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार 'अतिरिक्त आयुक्त (माडा) कार्यालय' संचालन हेतु संवतेन, यात्रा व्यय आदि के लिये हर साल बजट में व्यय का प्रावधान रखती है। वर्ष 2005–06 के बजट में आयोजना भिन्न खाते से इसके लिए 25 लाख 80 हजार का प्रावधान रखा है।

आयोजना व्यय : परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम

परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम के लिये सरकार आयोजना खाते में भी व्यय का प्रावधान रखती है। प्रत्यक्ष लाभ के लिए सरकार जनजाति लघु विकास खण्डों के विकास हेतु डी.आर.डी.ए. को अनुदान देती है। 2005–06 के बजट में इन के लिये 4 करोड़ 78 लाख 15 हजार रू. का प्रावधान है। 2004–05 के संशोधित बजट में 10 करोड़ 50 लाख के व्यय का अनुमान लगाया गया था। 2000–01, 2001–02 व 2003–04 में इस शीर्ष के लिए सरकार कोई राशि व्यय करने की इच्छा नहीं दिखाई। परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार माडा कलस्टर्स हेतु विकास अभिकरणों की सहायतार्थ भी व्यय करती है। विस्तार के लिये सारणी 14 देखें।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम पर अभी कोई भी व्यय नहीं हो रहा है।

सारणी 14 : परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन कार्यक्रम हेतु आयोजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
जन जाति लघु विकास खंडो के विकास हेतु डीआरडीए को अनुदान	0	23174	52660	29856	0	0	31968	0	105005	47815
माडा कलस्टर्स हेतु विकास अभिकरणों को सहायतार्थ अनुदान/अंशदानॅ/सहायता	0	3500	2700	2631	0	0	2376	0	2706	944
योग	**0**	**26674**	**55360**	**32487**	**0**	**0**	**34344**	**0**	**107711**	**48759**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

आयोजना व्यय : जनजाति उपयोजना माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र के जन जाति समुदाय के विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान/अंशदान

जनजाति उपयोजना माडा एवं सहरिया के अलावा, क्षेत्र के जनजाति समुदाय के विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान के लिये सरकार ने वर्ष 2005–06 के बजट में 8 करोड़ 40 लाख 39 हजार रू. का प्रावधान रखा है। यह व्यय आयोजना खाते से होता है।

आयोजना भिन्न व्यय : सहरिया विकास

राज्य सरकार सहरिया विकास हेतु कुछ राशि खर्च करती है। परन्तु राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय पूर्ण रूप से प्रशासन (संवेतन, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, चिकित्सा व्यय इत्यादि) पर खर्च होता है। सहरिया जाति के लोगों के प्रत्यक्ष विकास पर राज्य सरकार कोई भी राशि व्यय नहीं करती है।

वर्ष 1997–98 में आयोजना भिन्न व्यय के तहत सरकार ने सहरिया विकास के लिये लगभग 6.5 लाख रू.की राशि खर्च की थी। वर्ष 2005–06 के बजट में 11 लाख रू. का प्रावधान है, परन्तु जैसा कि हम पहले भी कह चुके है कि यह राशि केवल निर्देशन एवं प्रशासन पर ही खर्च होती है, इससे सहरिया जाति के लोगों को कोई भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलेगा।

आयोजना व्यय : सहरिया विकास

आयोजना व्यय के अन्तर्गत सहरिया जाति के लोगों के विकास हेतु वर्ष 2005–06 के बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। वास्तव में 2002–03 से ही आयोजना खाते के तहत इस मद पर कोई भी राशि व्यय नहीं की जा रही है। हालांकि इससे पूर्व सरकार इस मद पर आयोजना के अन्तर्गत खर्च करती थी परन्तु सारा खर्चा प्रशासन पर ही होता था।

आयोजना व्यय : सहरिया विकास (विशेष केन्द्रीय सहायता)

बजट पुस्तिका में यह एक भिन्न शीर्ष के रूप से दिखाई देती हैं, जिसका पैसा केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को सहरिया विकास हेतु विशेष केन्द्र सहायता के रूप से मिलता है। आयोजना व्यय के अन्तर्गत सहरिया विकास के लिये वर्ष 2005–06 के बजट में 1 करोड़ रू. से ज्यादा राशि का प्रावधान रखा गया है। यह राशि राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलती है।

आयोजना भिन्न व्यय : समाज कल्याण विभाग के माध्यम से

सारणी 15 (अ) और (ब) में हम देख सकते है कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सरकार कई सारे मदों में व्यय करते हैं, परन्तु कुछ वर्षों से एक या दो के अलावा किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय राशि नहीं डाल रही हैं। उदाहरण के लिए, कृषकों को ऋण के ब्याज हेतु भुगतान, बेरोजगार स्नातकों एवं स्नातकोत्तर को वृत्तिका आदि हेतु सरकार कोई भी व्यय नहीं कर रही है। ऐसी

सारणी 15 (अ) : अनुसूचित जनजाति के लिए "समाज कल्याण विभाग के माध्यम से" आयोजना भिन्न व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
I- छात्रवृतियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II- छात्रवासों का संधारण	3995	4484	7094	8528	9239	10213	10802	12536	6578	7020
III- कृषकों को ऋण के ब्याज हेतु भुगतान	0	0								
IV-बेरोजगार स्नातकों एवं स्तनाकोत्तर को वृत्तिका	0	0								
V- पूर्व प्रशिक्षण तथा स्टेनोग्राफी शिक्षण एवं एकल प्रशिक्षण संस्थान	0	0	0	0	0	0				
VI- अनुदानित छात्रावासों को सहायता		0	0	0	0	0	3952	3877	272	300
VII- नागरिक सुरक्षा							0	0	0	0
योग	**3995**	**4484**	**7094**	**8528**	**9239**	**10213**	**14754**	**16413**	**6850**	**7320**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

सारणी 15 (ब) : अनुसूचित जनजाति के लिए "समाज कल्याण विभाग के माध्यम से" आयोजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
I- छात्रवृत्तियां	4840	10247	9818	9374	8777	8225	17559	0	19500	0
II- छात्रवासों का संधारण	0	1459	0	0	0	0	0	0	795	1630
III- कृषकों को ऋण के ब्याज हेतु भुगतान	0	0								
IV- बेरोजगार स्नातकों एवं स्तनाकोत्तर को वृत्तिका	0	0								
V- पूर्व प्रशिक्षण तथा स्टेनोग्राफी शिक्षण एवं एकल प्रशिक्षण संस्थान	759	632	962	886	0	0				
VI- अनुदानित छात्रावासों को साहयता			0	4935	4312	4480	0	0	0	0
VII- नागरिक सुरक्षा							15	0	500	1000
योग	**5599**	**12338**	**10780**	**15195**	**13089**	**12705**	**17574**	**0**	**20795**	**2630**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

स्थिति में मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है जब सरकार इन सभी मदों में कोई व्यय नहीं करती तो बजट पुस्तिका में इन को रखने का क्या प्रयोजन है ? शायद पूर्व में इन सभी मदों में व्यय हुआ करता था, लेकिन ज्यादा पुराने ऑकड़े उपलब्ध न होने के कारण हम इस बारे में कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। यहॉ से एक और महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिली है वह यह है कि गरीब किसानों को मदद, बेरोजगारों को सहायता आदि विषय – जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी अहम है – इन सब को सरकार धीरे धीरे बन्द कर रही है। यह वैश्वीकरण का एक दुष्प्रभाव है, जिसका असर सरकार के माध्यम से आम गरीबों के ऊपर पड़ रहा है।

आयोजना व्यय : महाराष्ट्र पेटर्न के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम

महाराष्ट्र पेटर्न के तहत जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिये प्रदेश में विशेष योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 से कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन हुआ। इन के माध्यम से सरकार जनजातिय को प्रत्यक्ष लाभ पहुॅचाने हेतु राशि खर्च कर रही है। वर्ष 2001–02 में इसी के तहत 3.5 करोड़ रू. की राशि व्यय हुई। वर्ष 2002–03 में व्यय राशि का परिमाण शून्य था। वर्ष 2003–04 में व्यय राशि का –2 हजार रूपये बताई गई है। यह ऋणात्मक राशि अपने आप में एक अद्भूत ऑकड़ा है। इसकी व्याख्या तो केवल वित्त विभाग से ही मिल सकता है। हो सकता है कि लेखों में तालमेल बिठाने के लिये ऐसा किया गया हो। वर्ष 2004–05 के संशोधित बजट अनुमान में यह राशि बढ़ कर 1 करोड़ की हो गई है। वर्ष 2005–06 में इसमें आश्चर्यजनक बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें प्रावधान 17 करोड़ रू. का है। विस्तार के लिये सारणी 16 देखे।

आयोजना भिन्न व्यय : माडा व बिखरी

माडा व बिखरी के आश्रम छात्रावास के लिये वर्ष 2005–06 के बजट में आयोजना भिन्न खाते से 85 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान मुख्य रूप से निदेशन एवं प्रशासन के लिये है।

आयोजना भिन्न व्यय : जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अन्तर्गत स्थापित माडा प्रशासन

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अन्तर्गत स्थापित माडा प्रशासन के लिये वर्ष 2005–06 के बजट में 24 लाख 90 हजार का प्रावधान आयोजना भिन्न खाते में है।

आयोजना भिन्न व्यय : सहरिया के आश्रम

वर्ष 2005–06 के बजट में सहरिया के आश्रम संचालन हेतु निदेश और प्रशासन पर आयोजना भिन्न व्यय का प्रावधान 24 लाख 70 हजार रू. है।

सारणी 16 : माहाराष्ट्र पेटर्न के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम पर व्यय

रूपये हजारों में

मद	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	RE	BE
सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय्य	35076	0	-2	9437	
[01] जन जाति क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत अंशदान					7600
[02] जन जाति के छात्रों के लिए अनुसंधान हेतु					300
[03] विविध कार्यों हेतु को सहायतार्थ अनुदान					5424
[04] जन स्वास्थ्य हेतु सहायता					12345
[05] विद्युत योजनओं हेतु सहायता					15000
[06] कृषि विकास योजनाओं हेतु सहायता					1380
[07] जन जाति के लोगों के लिए सामान्य सेवायें हेतु अनुदान					1182
[08] आवास हेतु अनुदान					60500
[09] जन जाति लघु विकास खंडो के विकास हेतु को अनुदान					41038
[10] माडा कलस्टर्स हेतु विकास अभिकरणों का सहायतार्थ अनुदान,					339
[11] जन जाति उपयोजना, माडा एवं सहरिया के अलावा क्षेत्र जनजाति समुदाय के विकास हेतु सहायता					11451
[12] सहरिया विकास हेतु सहायता					14333
योग					**170892**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

आयोजना भिन्न व्यय : सेरीकल्चर परियोजना

वर्ष 2005–06 में आयोजना भिन्न खाते से सेरीकल्चर परियोजना का संचालन हेतु निदेशन और प्रशासन के लिए 8 लाख 60 हजार रू का प्रावधान है।

नोट : ऊपर में लिखित चार विकास मदों में सरकार आयोजना भिन्न खाते से व्यय कर रही है, जो पूर्ण रूप से निदेशन और प्रशासन में ही व्यय हो रहा हैं। इन सब व्यय के माध्यम से क्या विकास हो रहा है, अब यह प्रश्न पूछने का वक्त आ गया है। सरकार को भी इस सवाल का जवाब देना आवश्यक हैं। इन मुद्दों को लेकर समाज के लोगों को आवाज उठानी चाहिए।

पिछडे वर्गों का कल्याण

पिछडे वर्गों के कल्याण हेतु सरकार ने 1997–98 में कुल 80 लाख 46 हजार रू. खर्च किया था। 2005–06 में इसके लिये 9 करोड़ 73 लाख रू का प्रावधान है। वर्ष 2003–04 से 2004–05 तक हम देख सकते हैं कि आयोजना व्यय व आयोजना भिन्न व्यय के मुकाबले केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) के तहत होने वाला व्यय ज्यादा हैं, परन्तु 2003–04 के पहले व्यय राशि में केन्द्र प्रवर्तित योजना का भाग लगभग शून्य था। विस्तारित आंकड़े लिए सारणी 17 में देखें।

आयोजना भिन्न व्यय : सार्वजनिक क्षैत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

पिछडे वर्गों के कल्याण हेतु सरकार जो व्यय करती है वह कई शीर्षों के अन्तर्गत खर्च होता है। सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता के लिये सरकार आयोजना खाते से तीन सरकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यय करती है, इन तीन संस्थाओं का नाम है (1) राजस्थान राज्य पिछडा आयोग, (2) राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग, वित्त एवं विकास सहकारी निगम, व (3) राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम। विस्तार के लिये सारणी 18 देखे।

पहले ही हमने बताया है कि 73वें संविधान संशोधन की वजह से राजस्थान सरकार वर्ष 2004–05 से पंचायतों के माध्यम से बजट की कुछ राशि खर्च कर रही है। इस के अनुसार, वर्ष 2004–05 व 2005–06 के बजट में जिला परिषदों के माध्यम से आयोजना भिन्न व्यय के तहत 'अन्य पिछडा वर्ग' के छात्रों के लिए छात्रावासों के संधारण हेतु 30 लाख रूपये से भी ज्यादा राशि रखी गई है। आयोजना व्यय के तहत गडीया लुहारों को कच्चे माल क्रय करने हेतु सरकार ने वर्ष 2003–04 तक अनुदान के रूप में कोई भी राशि व्यय नहीं की थी।

हालांकि वर्ष 2004–05 के संशोधित बजट में गड़ीया लुहारों के द्वारा कच्चे माल क्रय करने हेतु सरकार ने 2 लाख रूपये से भी ज्यादा राशि का प्रावधान रखा था, और वर्ष 2005–06 के बजट में 1 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। जिला परिषदों के माध्यम के अलावा भी सरकार छात्रावासों के संधारण पर ("शिक्षा" शीर्ष के तहत) व्यय कर रही है। आयोजना भिन्न व्यय के माध्यम से छात्रावासों के संधारण के लिए वर्ष 1996–97 में सरकार का वास्तविक खर्च 54 लाख 77 हजार रूपये था। 2005–06 में कुल प्रावधान 1 करोड़ 17 लाख 82 हजार रूपये है, जिसमें से 53 लाख रूपये की राशि छात्रों को खाद्य, वस्त्र एवं अन्य वस्तु उपलब्ध करवाने के लिये अलग से रखी गई है। कुल प्रावधान का शेष भाग कार्यालय कर्मियो के लिए संवेतन, यात्रा व्यय, चिकित्सा व्यय, तथा कार्यालय व्यय इत्यादि के लिये रखा गया है।

वर्ष 2004–05 से केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से भी सरकार पिछडे वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति व वजीफा के लिये काफी रू. खर्च कर रही है। वर्ष 2004–05 के पहले केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के माध्यम से सरकार ने इस पर कोई व्यय नहीं किया था। 2004–05 के संशोधित बजट में इसके लिये 2 करोड़ 28 लाख 62 हजार रू. के व्यय का अनुमान है, जबकि वर्ष 2005–06 में 6 करोड़ 30 लाख 81 हजार रूपय का बजट प्रावधान है।

राज्य की गांव–गांव से बहुत ही शिकायत आती है कि पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। जब छात्रवृत्ति के बारे में अधिकारियों/अध्यापकों से पूछा जाता है तब जवाब मिलता है कि इस के लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं है। लेकिन बजट में तो इसका प्रावधान अभी रखा गया है। यह जानकारी आम नागरिकों के पास पहुँचना बहुत आवश्यक है।

आयोजना खाते में 'अन्य व्यय' के रूप से सरकार वर्ष 2002–03 तक गड़िया लुहारों को कच्चे माल हेतु अनुदान देती थी। परन्तु 2002–03 के पश्चात सरकार ने इस शीर्ष के अन्तर्गत खर्च करना बन्द कर दिया है। 2002–03 से सरकार दुसरा मद – जिसका नाम 'इन्टीग्रेटेड प्रोजेक्ट् फॉर गाडिया लुहार' – पर सरकार नियमित रूप से राशि व्यय कर रही है। इस से पहले एक बार सरकार ने 1999–00 में कुछ राशि व्यय की थी। वर्ष 2005–06 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ 65 लाख 20 हजार रू. का प्रावधान है।

सारणी 17 : पिछडे वर्गों का कल्याण हेतु कुल बजट

रूपये लाखों में

मद	1997-98 BE	1997-98 AE	1998-99 BE	1998-99 AE	1999-00 BE	1999-00 AE	2000-01 BE	2000-01 AE	2001-02 BE	2001-02 AE	2002-03 BE	2002- 03 AE	2003-04 BE	2003- 04 AE	2004- 05 BE	2004- 05 RE	2005-06 BE
आयोजना भिन्न	98.72	79.62	100.85	107.89	106.20	133.04	161.32	130.51	159.80	141.90	204.97	158.32	179.62	181.96	206.23	169.55	176.84
आयोजना	2.00	0.84	1.19	0.66	41.16	20.41	6.00	2.82	17.82	13.24	11.02	7.16	11.91	14.64	22.00	124.15	166.20
सी.एस.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	1800.01	216.95	1800.01	1028.62	630.81
योग	**100.72**	**80.46**	**102.04**	**108.55**	**147.37**	**153.45**	**167.33**	**133.33**	**177.63**	**155.14**	**216.00**	**165.48**	**1991.54**	**413.55**	**2028.24**	**1322.32**	**973.85**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान, सी.एस.एस.= केन्द्र प्रवर्तित योजना

सारणी 18 : पिछडे वर्गों का कल्याण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता हेतु आयोजना भिन्न व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
(1) राजस्थान राज्य पिछडा आयोग	1800	1730	2200	2050	1925	1900	1100	1500	700	400
(2) राजस्थान अन्य पिछडा वर्ग, वित्त एवं विकास सहकारी नि.को.स.				0	0	0	1000	2100	1000	1301
(3) राज. अल्प संख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को सहायता				0	0	0	1000	1500	600	1100
योग	**1800**	**1730**	**2200**	**2050**	**1925**	**1900**	**3100**	**5100**	**2300**	**2801**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान

समाज कल्याण विभाग के माध्यम से
अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु पूंजीगत व्यय

अनुसूचित जाति हेतु कल्याण

अनुसूचित जातियों के लिये जर्मन सहायता के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिये सरकार नियमित रूप से व्यय कर रही है। सरकार ने इसके अन्तर्गत वर्ष 1997–98 में 1 करोड़ रू. की राशि खर्च की। वर्ष 2005–06 के बजट में 3 करोड़ 70 लाख 27 हजार रू. का प्रावधान रखा गया है। कन्या छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 2005–06 में 77 लाख रू. का प्रावधान है। छात्रों हेतु छात्रावास भवन निर्माण के लिए वर्ष 2005–06 में 1 करोड़ 19 लाख 35 हजार रूपये का बजट प्रावधान है। महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण के लिए वर्ष 2005–06 में 1 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है ।

अनुसूचित जनजाति हेतु कल्याण

अनुसूचित जनजाति के लिये शिक्षा के अन्तर्गत छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण कार्य के लिये 2000–2001 के बाद से कोई भी व्यय नहीं हो रहा है।

कन्या छात्रावास भवन निर्माण कार्य के लिये 1997–98 में सरकार द्वारा कुल मिलाकर 20 लाख से कुछ ज्यादा राशि एवं 1998–99 में लगभग 15 लाख रूपये खर्च की गई थी। तीन सालों के अन्तराल के बाद 2002–03 में फिर से निर्माण कार्य हेतु केवल 1 लाख 11 हजार रू. की राशि व्यय की गई। वर्ष 2002–03 के बाद से इस पर अभी तक सरकार ने कोई राशि खर्च नहीं की है।

राज्य सरकार की बजट पुस्तिका में "समाज कल्याण विभाग के माध्यम से" नाम से एक अलग सा शीर्ष है, जिसके माध्यम से भी छात्रावास भवन निर्माण के लिए सरकार राशि व्यय करती है। इस शीर्ष के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2003–04 से खर्च किया जा रहा है। 2005–06 के बजट में इसके लिये 2 करोड़ से भी ज्यादा राशि का प्रावधान रखा गया है। कन्या छात्रावास भवन निर्माण हेतु 2004–05 तक कोई भी खर्च नहीं हुआ। वर्ष 2005–06 में कन्या छात्रावास भवन निर्माण के लिए 35 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। साथ साथ महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ऊपर जिन सब प्रावधानों पर खर्चो का हमने उल्लेख किया है वे आयोजना खाते से हुए है।

जनजाति क्षेत्र उपयोजना के तहत अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

जनजाति उपयोजना के तहत उपयोजना क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा हेतु निर्माण कार्यों के लिये लगभग नियमित रूप से कुछ राशि हर साल खर्च हो रही है (विस्तृत आंकडे के लिए सारणी 19 देखें)। यह खर्च आयोजना व्यय के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप से होता है। 2005–06 के बजट में इस के लिये 2 करोड़ 86 लाख 92 हजार का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि को उपयोग करवाने हेतु योजनाओं के लिए वर्ष 2005–06 में 17 करोड़ 32 लाख 35 हजार रू. का बजट प्रावधान है (संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत प्रावधित योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए इस पुस्तिका में दिये गये जनजाति उपयोजना क्षेत्रों का योजनाओं का अध्याय को देखे)।

एक तरफ से "माडा कलस्टर क्षेत्र" में पूँजीगत कार्य करने के लिये वर्ष 2005–06 में बजट प्रावधान है 18 लाख रूपये, और दुसरी तरफ से "माडा क्षेत्र" में पूंजीगत कार्य के लिये वर्ष 2005–06 में 2 करोड़ 75 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार को इन दोनों मदों के लिए राशि केन्द्र सरकार से "विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में मिलती है। बिखरी जनजाति क्षेत्र के लिये वर्ष 2005–06 में 1 करोड़ 20 लाख रू. का बजट प्रावधान है। इस मद में भी व्यय राशि राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से "विशेष केन्द्रीय सहायता" के रूप में मिलती है। विस्तार के लिये सारणी 19 देखे।

सारणी 19 : जनजाति क्षेत्र उपयोजना के तहत आयोजना व्यय

रूपये हजारों में

मद	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	AE	RE	BE
जन जाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण (वि.के.स.)		33370	1800	63624	0	0	0			
जन जाति के छात्रों/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण (के.प्र.यो.)		0	6674	0	0	0	40000	0	337	0
उपयोजना क्षेत्र में सिचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (वि.के.स.)		19831	35427	43171	0	0	165200	35863	75585	28692
संविधान अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनायें (वि.के.स.)		14672	63101	30000	0	0		222245	179846	173235
छात्रावास भवन निर्माण (वि.के.स.)		0	3337	0	0	0				
व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण		0	2400	0	0	0	400			
माडा कलस्टर क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (नवीन मद) (वि.के.स.)		0	800	571	0	0	5000	300	1200	1800
सहरिया क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (नवीन मद) (वि.के.स.)		0	0	4337	0	0	4550			
बिखरी जनजाति क्षेत्र (नवीन मद) (वि.के.स.)		0	1592	3337	0	0	7655	4400	13950	12000
माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य (वि.के.स.)		0	0	8198	0	0		7493	22000	27500
उपयोजना क्षेत्र में आश्रम छात्रावास भवन निर्माण (आयोजना)		0	0	15017	0	0				
उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य		0	0	11200	0	0	0			
योग		**67873**	**115131**	**168255**	**0**	**0**	**222805**	**270301**	**292918**	**243227**

AE = वास्तविक व्यय, RE = संशोधित अनुमान, BE = बजट प्रावधान, वि.के.स. = विशेष केन्द्रीय सहायता, के.प्र.यो. = केन्द्र प्रवर्तित योजना

महाराष्ट्र पेटर्न के तहत जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम

महाराष्ट्र पैटर्न के अनुसार जनजातिय क्षेत्र के विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम के लिये सरकार 2001–02 से ही राशि व्यय कर रही है, इससे पहले यह नहीं था। हालांकि 2004–05 तक यह व्यय इस मद के माध्यम से सकल रूप से हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2005–06 में पहली बार इस व्यय को विभिन्न इकाई शीर्ष के अन्तर्गत लाया गया है। विस्तार के लिए सारणी 20 देखे। जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2005–06 में 10 करोड़ 12 लाख 74 हजार रूपये का बजट प्रावधान है। लेकिन बजट पुस्तिका से यह मालुम नहीं चलता है कि कौनसी योजनाओं के लिए यह राशि आवंटित है। जनजाति के छात्र/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण के लिए (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से) वर्ष 2005–06 में सरकार ने 5 करोड़ 69 लाख 25 हजार रूपये का प्रावधान रखा है। उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2005–06 में 3 करोड़ 87 लाख 5 हजार रूपये का बजट प्रावधान है। माडा क्षेत्र में पूंजीगत कार्य करने हेतु वर्ष 2005–06 में 1 करोड़ 26 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। बिखरी जनजाति क्षेत्रों में विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए वर्ष 2005–06 में 35 लाख रूपये का बजट प्रावधान है। मॉ–बाडी योजना हेतु वर्ष 2005–06 में 2 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान है।

पिछडे वर्ग का कल्याण

पिछडे वर्ग के कल्याण हेतु शिक्षा के अन्तर्गत छात्रावास भवन निर्माण कार्य के लिये सरकार वर्ष 2004–05 से ही खर्च कर रही है, इस से पहले खर्च नहीं करते थे। वर्ष 2004–05 का संशोधित बजट में व्यय का अनुमान 27 लाख 49 हजार रू.है। वर्ष 2005–06 में 82 लाख 38 हजार रू. का बजट प्रावधान रखा गया है।

'सामान्य अन्य व्यय' के नाम से समाज कल्याण विभाग के भवन निर्माण कार्य हेतु सरकार ने 2005–06 में 2 करोड़ रू. का प्रावधान रखा है।

अनुसूचित जाति के लिए विभाग वार राजस्व व्यय

2005–06 वर्ष में राज्य योजना के विभिन्न मदों पर व्यय करने के लिए कुल प्रावधान 8350 करोड़ रुपये है जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए विभिन्न विभाग के माध्यम से 1335.70 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है, जो कि कुल राज्य योजना की राशि का 16 प्रतिशत है। इस राशि का विस्तारित विवरण देना मुश्किल है, इसलिए हम निम्न में इस राशि का विभाग वार आवटंन को विस्तारित रूप से नहीं देकर, केवल मुख्यतौर पर ही पेश कर रहे हैं।

कृषि विभाग

अनुसूचित जातियों को कृषि विभाग से विभिन्न मदों के तहत मिलने वाली सहायता ज्यादातर अनुदान के रूप में ही होती हैं। कृषि विभाग से अनुसूचित जातियों को जिन मदों के तहत मदद मिलती है उनमें मुख्य है कृषि प्रदर्शनी। इसके अन्तर्गत सरकार हाईब्रिड बीजो का इस्तमाल, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि जैसी नई तकनीकों के विषय में कृषकों को प्रदर्शनी के जरिये से सूचित करती है। यह प्रदर्शनी ज्यादातर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के फार्म में ही की जाती है। इन कृषि प्रदर्शनियों के लिये 2005–06 के बजट में 20 लाख की राशि का प्रावधान है। फसल बीमा के लिये 9 लाख रू. का अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

2005–06 में जल बजट (कृषि के अन्तर्गत) के माध्यम से 2 करोड़ 25 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है। भूमि सुधार के लिये 34 लाख रू. का प्रावधान है। इसके लिये 25 लाख रूपये आयोजना खाते से व 75 लाख केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से खर्च होना है। कार्य योजना के लिये आयोजना खाते से 70 लाख रूपये की राशि व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 6 करोड़ 30 लाख की राशि का प्रावधान है। इन्टीग्रेटेड प्लान फॉर आयल सीड एन्ड पल्सेज के अन्तर्गत 9 करोड़ 60 लाख का प्रावधान है। हॉरटीकलचर के लिये 3 लाख 18 हजार से ज्यादा राशि का प्रावधान है।

ग्राम्य रोजगार

जवाहर रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संयोजक योजनाओं के माध्यम से इन्द्रा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आवास हेतु 2003–04 में आयोजना भिन्न .खाते से कुल 12 करोड़ 42 लाख 93 हजार रूपये का खर्च हुए। 2004–05 व 2005–06 में इस विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

पशुपालन विभाग

पशु के विकास के लिये 2004–05 के संशोधित बजट में 1 करोड़ 23 लाख रूपये के व्यय का अनुमान है। 2005–06 के बजट में 2.5 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। लगभग पूरी राशि भेषज और औषधियॉ के लिये व्यय होती हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुसूचित जातियों के लोगों को पशु पालन विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सुविधाए मिले।

मछली पालन

विशिष्ट संघटक योजना के माध्यम से मीठे पानी में जल जीव पालन के विकास हेतु सरकार ने 2003–04 में केवल 50 हजार रू. खर्च किये थे और वर्ष 2004–05 के संशोधित बजट में कोई भी राशि नहीं रखी गई है। वर्ष 2005–06 के बजट में 2 लाख रू. का प्रावधान है। मछली बीज उत्पादन मद में कई सालों से सरकार व्यय नहीं कर रही है।

ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के माध्यम से सरकार ने वर्ष 2003–04 में 3 करोड़ 26 लाख 61 हजार रूपये की राशि व्यय की थी, लेकिन 2004–05 व 2005–06 में इस मद में कोई व्यय राशि नहीं डाली गई।

ग्रामीण हाट के लिये सरकार ने 2003–04 में 3 करोड़ 35 लाख 26 हजार रूपये का व्यय किया। 2005–06 में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है।

ग्राम तथा लघु उद्योग विभाग

अनुसूचित जातियों के लिये पावर लूम क्षेत्र में प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में सिर्फ एक हजार रू. की टोकन राशि बजट में रखी गई है।

उद्योग

अव्यवस्थित घरेलू उद्योग धन्धों के विकास हेतु 2003–04 में 3 लाख 50 हजार की राशि व्यय की गई। 2004–05 के संशोधित बजट में भी इतनी ही राशि के व्यय होने का अनुमान है। 2005–06 के लिये आयोजना खाते में 4 लाख 50 हजार रू. का प्रावधान है। चर्म प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2005–06 में 3 लाख 50 हजार रू. का बजट प्रावधान है। इन्टरप्रिन्योरशिप डवलपमेन्ट प्रोग्राम (व्यवसाय सम्बन्धित प्रशिक्षण) के तहत सरकार ने 2003–04 में 1 लाख 15 हजार रू. खर्च किया था। 2005–06 में 1 लाख 20 हजार रू. का बजट प्रावधान है। इ.टी.डी.सी हेतु 2005–06 में 1 लाख 60 हजार रू.का प्रावधान है ।

सामान्य शिक्षा

अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना हेतु अनुदान के रूप से 2004–05 व 2005–06 में 1 हजार रू. की टोकन राशि का प्रावधान रखा गया है, जबकि वर्ष 2003–04 में 29 हजार रूपये खर्च हुए थे।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना के माध्यम से शहरी स्वास्थ्य सेवाएं (एलोपैथी) में अस्पताल एवं औषधालय हेतु कुछ भी खर्च नहीं हो रही है।

अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना के माध्यम से शहरी स्वास्थ्य सेवाओं (अन्य चिकित्सा पद्धतियां) में अस्पताल एवं औषधालय हेतु 2005–06 में 14 लाख 20 हजार रूपये का प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा

बजट पुस्तिका में इस विभाग के तहत अनुसूचित जातियों के लिये विशिष्ट संघटक योजना के अन्तर्गत कई वर्षों से खर्च की कोई राशि दिखाई नहीं देती हैं।

अनुसूचित जाति के लिए विभागवार पूंजीगत व्यय

जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

वर्ष 2005–06 के बजट में अनुसूचित जाति क्षेत्र में जल पूर्ति हेतु वृहत निर्माण कार्य के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय

अनुसूचित जातियों के लिए वर्ष 2005–06 के बजट में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के माध्यम से लघु निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु लगभग 21 करोड़ रूपये एवं गुरूगोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना हेतु लगभग 5 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (टी.एस.पी.) के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए विभागवार राजस्व व्यय

कृषि विभाग

एग्रीकलचराल एक्सटेनशन एण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट के माध्यम से आयोजना व आयोजना भिन्न व्यय दोनों को मिला कर 7 करोड़ 70 लाख 76 हजार रू. का प्रावधान 2005–06 के बजट में रखा गया है। 2004–05 के संशोधित अनुमान की तुलना में यह राशि 2.5 करोड़ रू. ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा भाग निदेशन एवं प्रशासन पर खर्च होता है। वर्ष 2005–06 में कृषि प्रदर्शनी के लिये 10 लाख रू. व सेरीकलचर के लिये 14 लाख की राशि का प्रावधान रखा गया है। जल बजट (कृषि के अन्तर्गत) के लिये 65 लाख व आई.सी.डी.पी. के लिये 40 लाख रू. का प्रावधान है। इसके तहत ज्यादातर राशि केन्द्र प्रवर्तित योजना के माध्यम से व्यय होती है। वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु हॉरटीकलचर के लिए 1 करोड़ 47 लाख रूपये का प्रावधान है।

पशु पालन

पशु चिकित्सालय के लिये वर्ष 2005–06 में 8 करोड़ 73 लाख 72 हजार रू.,का बजट प्रावधान है जो कि पिछले साल के संशोधित अनुमानों से 1 करोड़ 40 लाख रू. ज्यादा है। पोलीक्लीनिक हेतु आयोजना व आयोजना भिन्न व्यय दोनों को मिलाकर 25 लाख 65 हजार रू. का बजट प्रावधान रखा गया है। पशु रोग निदान हेतु 4 लाख 13 हजार रू. का प्रावधान है। पशुधन विकास योजना हेतु 2005–06 में 43 लाख 41 हजार रू. का प्रावधान हैं। महाराष्ट्रा पैटर्न के तहत उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पशुपालन स्कूल हेतु सहायता के रूप से 2005–06 में 57 लाख 80 हजार रू. का प्रावधान है।

मृदा तथा जल संरक्षण

जल ग्रहण एवं भू संरक्षण कार्य हेतु खर्च आश्चर्य–जनक रूप से घट रहा है। 2003–04 में वास्तविक 3 करोड़ 65 लाख 38 हजार रू.,का खर्च था लेकिन 2004–05 के संशोधित अनुमान में इसको घटा कर 5 लाख 76 हजार रू. रखा गया। 2005–06 के बजट प्रावधान में इसकों और भी घटा कर सिर्फ 10 हजार रू. कर दिया गया है।

डेरी विकास

जनजातिय क्षेत्र में डेरी सहकारी समितियों को सरकार की तरफ से दिये जाने वाले अनुदान को समाप्त कर दिया गया है।

मछली पालन

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में मीठे पानी में जल जीव पालन के विकास हेतु अनुदान के रूप में वर्ष 2005–06 का 2 लाख रू का बजट प्रावधान है।

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के लिये वर्ष 2005–06 में 11 लाख रू. का प्रावधान है।

सहकारिता विभाग

इस विभाग द्वारा जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के लिये मुख्यतः दो मदों के माध्यम से खर्च होता है :

1. कार्य योजना
2. महिला समितियॉ

कार्य योजना के लिये 2005–06 में 15 लाख 80 हजार रू. का बजट प्रावधान है । पिछले साल यह 11 लाख रू. था। महिला समितियों हेतु 2005–06 में 85 हजार रू का प्रावधान है ।

ग्राम विकास

जनजातिय क्षेत्र के लिए ग्राम विकास हेतु वित्तिय वर्ष 2003–04 में व्यय राशि 66 लाख 3 हजार रू.थी। इसके पश्चात् कोई व्यय का प्रावधान नहीं रखा गया हैं।

ग्राम्य रोजगार

इस विभाग में जनजातीय क्षेत्र के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु अनुदान के माध्यम से इन्द्रा आवास योजना व प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए सरकार ने 2003–04 में कुल मिला कर 3 करोड़ 4 लाख 14 हजार रू. केन्द्र प्रवर्तित योजना के माध्यम से खर्च किए थे। 2004–05 और 2005–06 में इसके तहत कोई राशि नहीं रखी गई।

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

इस विभाग के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिये सरकार ने जिला परिषद के माध्यम से डी.आर.डी.ए. ग्रामीण विकास प्रकोष्ट हेतु आयोजना खाते से 2003–04 में 23 लाख 58 हजार रू. खर्च किए थे। इसके बाद 2004–05 एवं 2005–06 में इस के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

मुख्य सिंचाई

जनजाति क्षेत्र के मुख्य सिंचाई के डेम यूनिट के लिये सरकार निदेशन और प्रशासन के लिये कुछ पैसे खर्च करती है मुख्य सिंचाई के पूंजीगत खाते में सरकार ने निर्माण कार्य के लिये जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने के लिए 2005–06 में इस मद में 61 करोड़ 58 लाख 36 हजार रू. का बजट प्रावधान है।

लघु सिचाई

भू जल विभाग के अभिकरण से विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप से सरकार ने लघु सिंचाई के लिये 2003–04 के आयोजना खाते में 56 लाख 55 हजार रू. खर्च किए थे। 2004–05 के संशोधित बजट में 1 करोड़ 20 लाख रू. के व्यय का अनुमान है। 2005–06 के बजट में सिर्फ 20 लाख का प्रावधान है।

बिजली

जनजातीय उपयोजना बुनकरों हेतु बीमा के लिये सरकार ने 2005–06 में सिर्फ एक हजार रू. की टोकन राशि का प्रावधान रखा है। स्वयं सहायता समुह के लिये 2003–04 में कोई भी राशि नहीं थी। वर्ष 2005–06 के आयोजना खाते में इस के लिए 2 लाख 80 हजार का प्रावधान है।

उद्योग

जनजातिय क्षेत्र में जिला उद्योग केन्द्र के लिये 2005–06 में 45 लाख 40 हजार रू. का बजट प्रावधान है। अव्यवस्थित घरेलू उद्योग धन्धों के विकास हेतु 2005–06 में बजट प्रावधान 2 लाख 44 हजार रू. हैं। इन्टरप्रिन्योशिप डवलपमेन्ट प्रोग्राम (व्यवसाय सम्बन्धित प्रशिक्षण) हेतु 2005–06 में प्रावधान केवल 50 हजार रू.है।

अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग

इस विभाग मे जनजातीय क्षेत्र के लिये सिर्फ निदेशन और प्रशासन हेतु 2005–06 का बजट प्रावधान 20 लाख 60 हजार रू. है ।

अन्य वैज्ञानिक अनुसन्धान

इस विभाग के माध्यम से 2003–04 में वास्तविक खर्च 1 लाख 73 हजार रू. था । 2005–06 में इस विभाग के लिए 9 लाख 70 हजार रू. है, जिसमे से 70 हजार रू का प्रावधान प्रशिक्षण, भ्रमण, सम्मेलन आदि हेतु के लिये रखा गया था।

परिस्थिति विज्ञान एवं पर्यावरण

पर्यावरण सुधार के लिये 2003–04 में सरकार ने जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत कोई राशि व्यय नहीं की थी जबकि 2004–05 के संशोधित बजट में 10 हजार रू. रखे गये थे। 2005–06 में इसको बढ़ा कर 1 लाख 10 हजार रू. का प्रावधान रखा है।

पर्यटन

राजस्थान की जनजाति की लोकसंस्कृति बहुत ही समृद्धशाली है। इस क्षेत्र की पर्यटन सूचना और प्रसार के लिये आयोजना खाते में 2003–04 में सरकार ने 42 लाख 15 हजार रू. खर्च किए थे। 2004–05 के संशोधित बजट में राशि को बढ़ा कर 1 करोड़ 15 लाख 90 हजार रू. किया गया है एवं 2005–06 में इस हेतु बजट प्रावधान लगभग 1 करोड़ 90 लाख रू.है।

जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

जनजातिय क्षेत्र के लिये कार्यरत मूल्यांकन विभाग के अभिकरण से निदेशन और प्रशासन हेतु सरकार ने 2003–04 में लगभग 9 लाख रू. खर्च किए थे। 2005–06 में इसके लिये 9 लाख 80 हजार रू. का प्रावधान है।

तकनीकी शिक्षा

बजट पुस्तिका में 2003–04 व 2004–05 में जनजाति क्षेत्र के लिए इस विभाग के अन्तर्गत कोई राशि दिखाई नहीं देती। 2005–06 के बजट में 10 लाख रू.का प्रावधान है ।

खेलकूद तथा युवा सेवायें

जनजाति क्षेत्र उपयोजना के तहत सरकार ने राजस्थान स्पोर्टस काउंसिल को अनुदान के रूप से 2003–04 में 10 लाख रू. से भी ज्यादा राशि दी थी। 2005–06 के बजट अनुमान में इसके लिये प्रावधान 15 लाख रू.का है। इसमें से 3 लाख रू. आयोजना भिन्न के माध्यम से तथा 12 लाख रू. आयोजना के माध्यम से खर्च होना है।

शहरी विकास

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए शहरी विकास हेतु सिर्फ आयोजना भिन्न व्यय के खाते से ही खर्च होता है। आयोजना व्यय व केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से कुछ खर्च नहीं होता है। हम जानते हैं कि आयोजना के अन्तर्गत खर्च ज्यादातर कार्यालय व कर्मियों पर ही होता है। 2003–04 में लगभग 4 लाख रू. निदेशन एवं प्रशासन में खर्च हुआ था। 2005–06 के बजट में 4 लाख रू. से थोडा ज्यादा का प्रावधान है।

सूचना एवं प्रसार

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत इस विभाग में ज्यादा राशि आयोजना भिन्न के माध्यम से खर्च होती है। 2005–06 में इस विभाग में जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए बजट प्रावधान 18.5 लाख रू.,का है। जिसमें से केवल 1 लाख 20 हजार रू. आयोजना खाते के माध्यम से आधुनिकीकरण व सुदृढीकरण के लिए खर्च करने का प्रावधान है।

श्रम तथा रोजगार

इस विभाग में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के तहत सरकार 6 मदों पर खर्च करती है। जैसे श्रमिक कल्याण केन्द्र, निर्माणियों के निरीक्षक, रोजगार सेवायें, शिल्प प्रशिक्षण योजना, आदिवासी युवकों के लिये पाठयक्रम, लघु औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, इन सभी मदों में निदेशन एवं प्रशासन के लिये ही ज्यादातर व्यय होता है। केवल महाराष्ट्र पेटर्न के तहत आदिवासी युवकों के लिये पाठयक्रम हेतु जो राशि व्यय होती है वह आयोजना खाते से होती है। 2003–04 में इस हेतु वास्तविक खर्च 36 लाख 28 हजार रू., हुआ था तथा 2005–06 में इसके लिये 80 लाख रू. का प्रावधान है।

सामान्य शिक्षा

जनजातीय क्षेत्रों में निरीक्षण, बालकों के लिये प्राथमिक विद्यालय, बालिकाओं के लिये प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक बालक विद्यालय व उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय हेतु कुल मिलाकर 92 करोड़ 86 लाख 93 हजार रू. का प्रावधान 2005–06 के बजट में है। उच्च प्राथमिक बालक विद्यालयों के पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तकालयों के लिए 1 लाख 40 हजार रू. का प्रावधान है। उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों के लिए इस पर प्रावधान केवल 10 हजार रू. है।

स्थानीय निकायों / पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों के लिये अनुदान हेतु सरकार ने 2005–06 में बजट प्रावधान रखा 61 करोड़ 27 लाख 79 हजार रू. है। इसके लिये 2003–04 में वास्तविक खर्च 43 करोड़ 15 लाख 82 हजार रूपये था।

सरकार ने 2003–04 में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि से 13 करोड़ 88 लाख 13 हजार रू. आश्रम विद्यालय स्थापना हेतु खर्च किए। यह खर्च आयोजना खाते के अन्तर्गत हुआ है। 2004–05 के संशोधित बजट में इस पर व्यय का अनुमान 12 करोड़ 74 लाख रू.का था, लेकिन 2005–06 के बजट में इस मद पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। साथ ही वर्ष 2005–06 में महाराष्ट्र पेटर्न के अन्तर्गत सहायता के रूप से बजट प्रावधान 24 करोड़ 46 लाख 9 हजार रूपये है। 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिये अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु सरकार जो खर्च करती थी वह 2001 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी) के माध्यम से हो रहा है तथा आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना को सरकार ने वर्ष 2002 से समाप्त कर दिया है। लोक जुम्बिश परियोजना भी बन्द हो गई है।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

इस विभाग के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिए सरकार ने 2003–04 में 22 करोड़ 33 हजार रू. की वास्तविक राशि व्यय की थी। 2005–06 में इस के लिये बजट प्रावधान 33 करोड़ 16 लाख 74 हजार रूपये है। इस व्यय राशि के कुछ विशेष अंश निम्न रूप है। जनजातियों क्षेत्र के अस्पताल में मशीनरी, साज समान और औजार हेतु 2005–06 में बजट प्रावधान केवल 51 हजार रू है। कपडे बिस्तर के लिए 2 लाख रू., भेषज व औषधियॉ के लिए 10 लाख रू. एवं खाद्य सामग्री के लिए 6 लाख रू. प्रावधान है। औषधालय तथा सहायता चौकियॉ के अन्तर्गत मशीनरी, साज समान और औजार के लिये प्रावधान केवल 30 हजार रूपये है। कपड़े बिस्तर के लिए 20 हजार रू. एवं भेषज और औषधियों के लिये प्रावधान 3 लाख रूपये है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 2005–06 में मशीनरी, साज समान एवं औजार के लिये प्रावधान 6 लाख 60 हजार रूपये का है। कपड़े एवं बिस्तर के लिए 10 लाख रू., भेषज और औषधियों के लिए 2 करोड़ 30 लाख 50 हजार रू. एवं खाद्य सामग्री के लिये 1 लाख 20 हजार रू. का प्रावधान है, जबकि 2003–04 में इन तीन मदों में कुल मिलाकर खर्च केवल 43 लाख 30 हजार रूपये हुआ था। इस हिसाब से 2005–06 के बजट में पहले से काफी ज्यादा राशि का प्रावधान है, लेकिन अंत में इसके वास्तविक लेखों के आने से मालुम पड़ेगा कि सरकार ने वास्तव में कितनी राशि व्यय की है।

सामान्य नर्सेज प्रशिक्षण (विशेष केन्द्रीय साहयता) हेतु सरकार ने 2003–04 में 22 लाख 63 हजार रूपये खर्च किया था। इस राशि को 2005–06 के बजट प्रावधान में लगभग आधा कर दिया है, इसका परिमाण 11 लाख 76 हजार रूपये है ।

टी.बी. क्लीनिक के लिये 2005–06 में बजट प्रावधान 3 लाख 98 हजार रूपये है, जिसमें से 3 लाख 25 हजार रूपये संवेतन पर व्यय किया जाना है। उसमें से केवल 1 हजार रूपये मशीनरी साज सामान एवं औजार के लिये खर्च करने का प्रावधान है एवं 30 हजार रूपये का प्रावधान भेषज और औषधियों के लिये है।

प्राकृतिक आपदाओं से फैली बीमारियों पर नियन्त्रण हेतु वर्ष 2005–06 में सिर्फ 5 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

जनजाति क्षेत्रों में महाराष्ट्र पेटर्न आधारित योजनाओं हेतु वर्ष 2005–06 में बजट प्रावधान 4 करोड़ 54 लाख 7 हजार रूपये का है। इस खर्च का भाग है इस प्रकार : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास (भेषज और औषधि पर), सामान्य नर्सेज प्रशिक्षण केन्द्र, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में समेकित चिकित्सा सुविधाये, एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आयोडीन नमक का वितरण।

जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (टी.एस.पी.) के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए विभागवार पूँजीगत व्यय

शिक्षा खेल–कूद कला एवं संस्कृति

वर्ष 2003–04 के संशोधित बजट में सरकार ने जनजातिय क्षेत्र में शिक्षा के लिए कॉलेज शिक्षा हेतु निर्माण कार्य के लिए कोई खर्च नहीं किया था। 2004–05 के संशोधित बजट में 44 लाख 25 हजार रू. का प्रावधान रखा गया है। 'स्थापना' व्यय हेतु 3 लाख 54 हजार रू., संयंत्र हेतु 88 हजार रू., सड़क और सेतु हेतु 1 लाख 33 हजार रू. रखे गए हैं। लेकिन 2005–06 के बजट में शिक्षा, खेलकुद, कला एवं संस्कृति पर कोई प्रावधान नहीं है।

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

जनजातिय क्षेत्र उपपरियोजना के लिए चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत व्यय हेतु 2004–05 एवं 2005–06 में कोई बजट प्रावधान नहीं है। 2 साल पहले अर्थात 2003–04 में विभाग के आधुनिकीकरण हेतु सरकार ने 63 हजार रू. खर्च किये थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भी 2003–04 के बाद सरकार का पूँजीगत व्यय करने का कोई विचार नहीं है।

वानिकी विभाग

सरकार वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत व्यय दो मदों के माध्यम से कुछ राशि व्यय करती है। जैसे परिभाषित वनों का पुनःरोपण हेतु लघु निर्माण कार्य लिए वर्ष 2005–06 का बजट प्रावधान 9 लाख 80 हजार रू है। बाह्य सहायता प्राप्त राशि द्वारा किए गए लघु निर्माण कार्य के लिए वर्ष 2005–06 का बजट प्रावधान 18 करोड़ 94 लाख 35 हजार रू. का है।

सहकारिता विभाग

जनजातिय क्षेत्र उपयोजना में सहकारी समितियों से हिस्सों का क्रय हेतु पूंजी विनियोजन के लिए 2005–06 में 84 लाख रू.बजट प्रावधान है। महिला सहकारी समितियों पर पूंजी विनियोजन के लिए 2 लाख रू. बजट प्रावधान है, कार्य योजना के अन्तर्गत विविध व्यय हेतु 16 लाख 60 हजार रू. बजट प्रावधान है।

मृदा एवं जल संरक्षण विभाग

कभी कभी कई मदों में सरकार सिर्फ टोकन राशि का प्रावधान रखती है, जैसे मृदा एवं जल संरक्षण विभाग के माध्यम से जनजातिय क्षेत्र में खर्च करने के लिए 2004–05 एवं 2005–06 में सरकार ने केवल 1 हजार रू. का प्रावधान रखा है। इस विभाग के माध्यम से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए।

अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय

वर्ष 2005–06 में जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जिला परिषद के माध्यम से लघु निर्माण कार्य हेतु (आयोजना खाते में) 5 करोड़ रू. प्रावधान है। पिछले साल के संशोधित बजट में इस राशि का परिमाण 5 करोड़ 66 लाख 67 हजार रू था। 2005–06 मे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत लघु निर्माण कार्य हेतु बजट प्रावधान 9 करोड़ 60 लाख रू. रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष संशोधित बजट में 10 करोड़ 20 लाख रू. का प्रावधान रखा गया था। 2005–06 में सुखा ग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत् जिला परिषद के माध्यम से लघु निर्माण हेतु 4 करोड़ रू का बजट प्रावधान रखा गया है। पिछले दो साल में उससे कम पैसा रखा गया था।

गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास परियोजना के तहत 2005–06 में जिला परिषद के माध्यम से लघु निर्माण कार्य हेतु 2 करोड़ 24 लाख रू. है। पिछले साल संशोधित बजट में केवल 20 लाख 80 हजार रू. रखे गए थे। 2003–04 में इस पर कोई खर्च नहीं हुआ।

मुख्य सिंचाई

वर्ष 2005–06 में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के लिए नहरों के पुनर्जीवीकरण हेतु 1 करोड़ 10 लाख रू. का बजट प्रावधान रखा गया है। पिछले दो वर्ष में इसके लिए कोई राशि नहीं रखी गयी थी। 2005–06 में माही परियोजना के तहत् 54 करोड़ 78 लाख 99 हजार रू. का प्रावधान है। यह सारा व्यय आयोजना खाते से किया जायेगा है, लेकिन मजे की बात यह है कि इस राशि का अधिकतम भाग निर्देशन एवं प्रशासन पर खर्च होगी।

लघु सिंचाई

वर्ष 2004–05 में लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु 18 करोड़ रू. का प्रावधान है। 2005–06 में विभिन्न निर्माण कार्य एवं माही बजाज सागर, बॉसवाडा के माध्यम से नाले को पुनर्जीवीकरण के लिए वृहद निर्माण कार्य हेतु 22 करोड़ 80 लाख रू. का प्रावधान है।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग

वर्ष 2005–06 के बजट में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु आयोजना खाते में 9 लाख रू. का प्रावधान रखा गया है।

सड़कों एवं सेतु

वर्ष 2003–04 में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए सरकार ने केवल 3 लाख 14 हजार रू. खर्च किया था। 2004–05 के संशोधित बजट में 4 लाख 20 हजार रू. रखा गया है। इस हेतु वर्ष 2005–06 में 1 हजार रूपये का टोकन मनी का बजट प्रावधान है।
नाबार्ड पोषित सड़क उन्नयन परियोजना के माध्यम से सरकार ने 2003–04 में 64 लाख 81 हजार रू. खर्च किए थे और 2004–05 के संशोधित बजट में 5 लाख 65 हजार रूपए रखा गया है, लेकिन 2005–06 के बजट में टोकन मनी के रूप में सिर्फ 1 हजार रू. का प्रावधान है।

वर्ष 2003–04 में जनजातिय क्षेत्र उपयोजना के प्रतिशतता व्यय के आधार पर सड़कों एवं सेतुओं के लिए सरकार ने 40 हजार रू. खर्च किये थे। वर्ष 2004–05 के संशोधित बजट में 55 हजार रू. में रखा गया है। 2005–06 में इस मद के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

पर्यटन

वर्ष 2005–06 में जनजातिय क्षेत्र में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु विभागों की विशिष्ट सभाओं पर व्यय का प्रावधान 70 लाख रू. रखा गया हे। पिछले साल के संशोधित बजट में इस राशि का प्रावधान 50 लाख रू. रखा गया था। 2003–04 में वास्तविक खर्च लगभग 1.5 करोड़ रू. था।

जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

वर्ष 2005–06 में जनजाति क्षेत्र उपपरियेाजना में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं हेतु 8 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

मछली पालन

मछली पालन विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए 2005–06 में विभिन्न निर्माण कार्य एवं जोडिये हेतु 5.48 लाख रूपये का प्रावधान है।

The Links : Policy to People and People to Policy

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

(Budget Analysis Rajasthan Centre)

पी–1,तिलक मार्ग,सी–स्कीम,जयपुर–302005

Tel. / Fax : (0141) 2385254

E-mail : info@barcjaipur.org

Website : www.barcjaipur.org